

भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष





हरियाणा सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 1

हरियाणा सरकार वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 1

© भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in

भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii-x
अध्याय – 1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	7
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	7
रिफंड मामले	1.5	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.6	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.2	10
लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.6.3	10
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.6.4	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति	1.6.5	11
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.7	12
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	12
स्वीकृत मामलों में वसूली	1.7.2	13
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.8	13
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.9	14
लेखापरीक्षा आयोजना	1.10	14
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	15
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.11	15
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.12	15
अध्याय – 2		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंध	2.1.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1.2	17
''वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	18-39

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
अविक्रीत माल पर आई.टी.सी. का गलत लाभ	2.3	40
ब्याज का अनुद्ग्रहण	2.4	40
अतिरिक्त कर (सरचार्ज) का अनुद्ग्रहण	2.5	41
गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.6	42
जमा कर से अधिक की अनुमति	2.7	43
रसायनों के विक्रय पर कर का अनुद्ग्रहण	2.8	44
पाईपों के विक्रय पर कर का कम उद्ग्रहण	2.9	44
फार्म वैट डी-1 के दुरूपयोग के लिए अतिरिक्त कर/पेनल्टी का अनुद्ग्रहण	2.10	45
विक्रयों के छिपाने के कारण कर का अपवंचन	2.11	46
एच.डी.पी.ई. पाईपों के विक्रय पर कर का अनुद्ग्रहण	2.12	47
अध्याय – 3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबंध	3.1.1	49
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.2	49
लाईसैंस फीस तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.2	50
अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली	3.3	51
अध्याय – 4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंध	4.1.1	53
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1.2	53
दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	4.2	54
अचल संपत्ति की गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.3	55
प्राइम खसरा भूमि पर नॉन प्राइम दरों के लागू करने से स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.4	56
पुराने अनुबंध के आधार पर दस्तावेजों के पंजीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	4.5	57
अचल सम्पत्ति के अव-मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन	4.6	58

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
स्टॉम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.7	59
स्टॉम्प शुल्क में कटौती के माध्यम से अदेय लाभ	4.8	60
अध्याय – 5		
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रबंध	5.1.1	61
वाहनों पर कर	5.1.1.1	61
यात्री एवं माल कर	5.1.1.2	61
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1.2	61
पी.पी.जी.टी. अधिनियम, 1952 के अंतर्गत माल कर एवं यात्री कर की वसूली	5.2	62-65
परिवहन विभाग		
मोटर वाहन कर में आऊटसोर्सड गतिविधियों से राजस्व का संग्रहण	5.3	66-70
सरकारी प्राप्तियों का संदिग्ध दुरूपयोग	5.4	70
अध्याय – 6		
अन्य कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियां		
कर प्रबंध	6.1.1	71
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1.2	71
खदान एवं भू – विज्ञान विभाग		
रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली / कम वसूली	6.2	72

परिशिष्ट

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/31 अक्तूबर 2015 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.6.5	75
II	31 अक्तूबर 2015 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.6.5	76
III	31 अक्तूबर 2015 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/ सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.6.5	77
शब्दावली		79-80	

प्राक्कथन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व सेक्टर के अधीन प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2014-15 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2014-15 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 407.87 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित **'वैट के अंतर्गत कर–निर्धारण की प्रणाली'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 23 अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय – 1

सामान्य

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 38,012.08 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 40,798.66 करोड़ थी। इसमें से, 79 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 27,634.57 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,613.12 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 21 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 3,548.09 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 5,002.88 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,786.58 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 319 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2014-15 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 3,89,086 मामलों में कुल ₹ 2,677.30 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2014-15 के दौरान, विभाग ने 5,993 मामलों में ₹ 394.96 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 201 मामलों में ₹ 6.62 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

''वैट के अंतर्गत कर–निर्धारण की प्रणाली'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारणों के अंतिमकरण के लिए प्रावधान के अभाव के कारण दो मामलों में ₹ 17.52 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8)

अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से अन्तर्विभागीय डाटा की विनिमय प्रणाली स्थापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 605 मामलों में ₹ 35.66 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 35.66 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.9)

₹ 235.50 करोड़ मूल्य की अवर्गीकृत मदो पर 12.5 प्रतिशत की लागू दर के विरूद्ध चार/पांच प्रतिशत के कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप 49 मामलों में ₹ 92 लाख के अनियमित रिफंड के अतिरिक्त ₹ 14.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.11.1)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों (ए.एज) ने जाली घोषणा फार्मों सी, एफ तथा एच के विरूद्ध माल की बिक्री/हस्तांतरण पर कर की शून्य/रियायती दर अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप 16 मामलों में ₹ 13.23 करोड़ की पेनल्टी तथा ₹ 4.41 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.11.2)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सी फार्मों पर बेचे गए माल के गतिविधि के प्रमाण प्रस्तुत न करने तथा झूठी रिटर्नों/वैट सी-4 प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए कर की अन्तरीय राशि उद्गृहीत की किंतु 13 मामलों में ₹ 18.07 करोड़ की अनिवार्य पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

{अनुच्छेद 2.2.11.3 (i) तथा (ii)}

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कैरी-फारवर्ड कर का गलत परिकलन, कर रियायत की छूट तथा 90 मामलों में ₹ 55 करोड़ के ब्याज तथा सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.11.4)

चैकलिस्टें बनाने, घोषणा फार्मों के लेखे प्राप्त करने, कर के भुगतान के प्रमाण, बिक्रियों/क्रयों के क्रास सत्यापन तथा माल की गतिविधि की चैकिंग करने के संबंध में मार्च 2006/फरवरी 2007/जुलाई 2013 को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करने के बावजूद ए.एज द्वारा मामलों की समीक्षा करते समय उनका अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.2.12.2)

रिटर्नें फाईल न करने के लिए पेनल्टी के उद्ग्रहण, उचित प्रोफार्मा (वैट ए-4) में रिफंड आवेदन प्राप्त करने, फार्म सी में बेची गई/खरीदी गई मदों की शब्दावली का वर्णन करने, संपूर्ण सी-4, वैट डी-2/एच फार्मों को स्वीकार करने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। आगे, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण न करने, कर-निर्धारण आदेशों/मांग नोटिसों को देरी से जारी करने तथा मामलों के पुनः कर-निर्धारण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 16.46 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

{अनुच्छेद 2.2.12.2 (क-ड.) तथा 2.2.12.3}

संपादन लेखापरीक्षा

₹ 95.81 करोड़ मूल्य के शुल्क तथा हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाईसेंस की खरीद, जो पुनः बिक्री के लिए उपयोग किए जाने हैं, देय सीमा शुल्क के विरूद्ध गलत ढंग से समायोजित की जानी अनुमत की गई थी, परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 4.84 करोड़ के गलत आई.टी.सी. की स्वीकृति दी।

(अनुच्छेद 2.3)

एक मामले में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला द्वारा 12 महीने व्यतीत होने के बाद भी ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी, परिणामत: ₹ 3.49 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

ए.एज ने वैट के अंतर्गत ₹ 33.93 करोड़ के कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया, परिणामस्वरूप 42 मामलों में ₹ 1.69 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

स्टीम/कढ़ाई वाले वस्त्रों एवं स्पेयर पार्टस के गलत वर्गीकरण तथा 12.5 प्रतिशत की कर योग्य दर के विरूद्ध कम दर पर कर उद्ग्रहण करने के परिणामस्वरूप सात मामलों में ₹ 1.98 करोड़ के कर तथा सरचार्ज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

3. अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

41 लाईसैंसधारी, निर्धारित तारीखों तक वर्ष 2013-14 हेतु देय लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने दुकानों को सील करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की परिणामत: ₹ 15.39 करोड़ की लाईसैंस फीस तथा ₹ 4.58 करोड़ के ब्याज की अवसूली/कम वसूली/अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.2)

4. अध्याय – 4

स्टाम्प शुल्क

89 विलेख कलैक्टर द्वारा नियत दरों पर आधारित ₹ 566.65 करोड़ पर कर-निर्धारित करने की बजाए ₹ 258.45 करोड़ पर कर-निर्धारित किए गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत तथा गांव में आवासीय क्षेत्रों के निकट किंतु नगरपालिका के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लाटों के 127 बिक्री विलेखों का शहरी भूमि की बजाय कृषीय भूमि हेतु नियत दरों पर कर-निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

कलैक्टर द्वारा 65 विलेख प्राइम भूमि हेतु नियत दरों पर ₹ 66.78 करोड़, जिन पर ₹ 2.86 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था, की बजाए कृषीय भूमि के रूप में ₹ 35.92 करोड़ हेतु निर्धारित किए गए थे जिन पर ₹ 1.63 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने, कलैक्टर दरों के अनुसार ₹ 17.26 करोड़ के मूल्य तथा ₹ 89.80 लाख के एस.डी., पर दस्तावेजों के पंजीकरण की बजाय पार्टियों के मध्य पहले ही अनुबद्ध की गई दरों के आधार पर भूमि का मूल्य ₹ 4.27 करोड़ निर्धारित किया तथा ₹ 18.55 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप 45 मामलों में ₹ 71.25 लाख के एस.डी. की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.5)

5. अध्याय – 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

आंतरिक नियंत्रण, मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी, चूककर्ता वाहन मालिकों को नोटिस भेजने में विफल रहे परिणामस्वरूप 15,850 मामलों में ₹ 14.59 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त या तो डी.सी.आरज को अद्यतन नहीं किया गया या ₹ 24.10 करोड़ की सीमा तक यात्री एवं माल कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.2.1 से 5.2.4)

परिवहन विभाग

एच.एस.आर.पीज स्नैप लॉक, जो बेहतर सुरक्षा के लिए अनिवार्य था, के बिना लगाई गई थी; नए पंजीकृत वाहनों पर एच.एस.आर.पीज लगाना 27 तथा 81 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा तथा पुराने वाहनों पर एच.एस.आर.पीज का प्रतिस्थापन आरंभ नहीं किया गया। मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण विभाग चूककर्ता पी.सी.सी. मालिकों/ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूलों से लंबित लाईसैंस फीस वसूल करने के लिए नोटिस जारी करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 7 लाख की लाईसैंस फीस की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 5.3.1 से 5.3.5)

नियंत्रण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.46 लाख के सरकारी धन का संदिग्ध दुरूपयोग हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

6. अध्याय – 6

अन्य कर एवं कर – भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू – विज्ञान विभाग

पांच जिलों के संबंध में 81 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 24.92 लाख की राशि की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2011 तथा अप्रैल 2014 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.2)

अध्याय – 1

सामान्य

अध्याय 1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े **तालिका** 1.1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	16,790.37	20,399.46	23,559.00	25,566.60	27,634.57
	• कर-भिन्न राजस्व	3,420.94	4,721.65	4,673.15	4,975.06	4,613.12
	योग	**20,211.31**	**25,121.11**	**28,232.15**	**30,541.66**	**32,247.69**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा[1]	2,301.75	2,681.55	3,062.13	3,343.24	3,548.09
	• सहायता अनुदान	3,050.62	2,754.93	2,339.25	4,127.18	5,002.88
	योग	**5,352.37**	**5,436.48**	**5,401.38**	**7,470.42**	**8,550.97**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**25,563.68**	**30,557.59**	**33,633.53**	**38,012.08**	**40,798.66**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**79**	**82**	**84**	**80**	**79**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 32,247.69 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 79 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों का शेष 21 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

[1] विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 14 देखें-वर्ष 2014-15 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.2 2010 – 11 से 2014 – 15 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका** 1.1.2 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1.2
एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014 – 15 में वृद्धि (+) या कमी (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2014 – 15 पर वास्तविक	2013 – 14 के वास्तविक पर वास्तविक 2014 – 15
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर / मूल्य वर्धित कर (वैट)	11,500.00	11,082.01	14,100.00	13,383.69	16,450.00	15,376.58	19,288.61	16,774.33	19,930.00	18993.25	(-) 4.70	13.23
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,100.00	2,365.81	2,400.00	2,831.89	3,000.00	3,236.48	4,000.00	3,697.35	4,350.00	3,470.45	(-) 20.22	(-) 6.14
3.	स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस	1,900.00	2,319.28	2,350.00	2,793.00	3,000.00	3,326.25	3,850.00	3,202.48	3,950.00	3,108.70	(-) 21.30	(-) 2.93
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	425.00	387.14	425.00	429.32	450.00	470.76	520.00	497.45	650.00	527.07	(-) 18.91	5.95
5.	वाहनों पर कर	350.00	457.36	515.00	740.15	750.00	887.29	850.00	1,094.86	1,175.00	1,191.50	1.40	8.83
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	140.00	130.27	155.00	166.43	160.00	191.96	201.40	219.20	232.25	239.74	3.22	9.37
7.	भू-राजस्व	13.79	10.02	16.09	10.95	15.28	12.98	19.33	12.42	13.50	15.28	13.19	23.03
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	40.50	38.48	45.80	44.03	48.00	56.70	55.00	68.51	74.00	88.58	19.70	29.29
	योग	**16,469.29**	**16,790.37**	**20,006.89**	**20,399.46**	**23,873.28**	**23,559.00**	**28,784.34**	**25,566.60**	**30374.75**	**27634.57**	**(-) 9.02**	**8.09**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि एकत्रित राजस्व कर 2010 – 11 में ₹ 16,790.37 करोड़ से बढ़कर 2014 – 15 में ₹ 27,634.57 करोड़ हो गया। वर्ष 2014 – 15 के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) से वास्तविक आंकड़ों में नाममात्र कमी (9.02 प्रतिशत) है। संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (21.30 प्रतिशत) अचल/चल सम्पत्ति के दस्तावेजों के कम पंजीकरण के कारण थी।

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** प्राप्तियों में कमी (6.14 प्रतिशत) राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्गों पर खुदरा शराब की दुकानों के स्थान पर मुकदमेबाजी के कारण थी।

- **माल एवं यात्रियों पर कर:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (18.91 प्रतिशत) दिनांक 06 जून 2014 की अधिसूचना के अंतर्गत ड्राईवर को छोड़कर तीन सीटों की क्षमता वाले आटो रिक्शा को प्रदान की गई यात्री कर की छूट तथा एक टन तक सकल वाहन भार वाले आटो रिक्शा को प्रदान की गई माल कर की छूट के कारण थी।

- **भू–राजस्व:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (23.03 प्रतिशत) नामांतरण फीस, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना[2] की अधिक वसूली के कारण थी।

- **उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (29.29 प्रतिशत) बेहतर मॉनीटरिंग तथा मनोरंजन शुल्क की वसूली के कारण थी।

1.1.3 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर–भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.1.3** में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3
एकत्रित किए गए कर–भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014–15 में वृद्धि (+) या कमी (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2014–15 पर वास्तविक	2013–14 के वास्तविक पर वास्तविक 2014–15
1.	शहरी विकास	700.00	974.54	1,300.00	1,039.35	1,150.00	990.70	1,200.00	1,104.54	1220.00	861.11	(-) 29.42	(-) 22.04
2.	सड़क परिवहन	900.00	761.72	1,100.00	852.96	1,150.00	999.87	1,315.00	1,097.54	1310.00	1235.31	(-) 5.70	12.55
3.	ब्याज प्राप्तियां	864.70	689.34	816.49	864.96	1,080.04	1,058.21[3]	1,090.12	1,090.71	1142.51	933.59	(-) 18.29	(-) 14.41
4.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	154.40	270.37	299.47	295.72	386.41	385.43	438.14	318.94	527.83	564.48	6.94	76.99

2 सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

3 सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के बुक समायोजन में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014 – 15 में वृद्धि (+) या कमी (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2014 – 15 पर वास्तविक	2013 – 14 के वास्तविक पर वास्तविक 2014 – 15
5.	विविध सामान्य सेवाएं	1.78	(-) 9.75[4]	1.04	128.49	1.30	312.30	5.89	268.37	30.00	20.38	(-) 32.07	(-) 92.41
6.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	84.99	47.06	102.99	54.79	109.63	78.01	163.48	148.07	179.61	145.50	(-) 18.99	(-) 1.74
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	200.00	82.59	75.00	75.53	225.00	75.49	150.00	79.10	500.00	43.46	(-) 91.31	(-) 45.06
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	147.47	115.63	170.76	99.95	156.00	125.86	136.80	144.35	167.39	95.73	(-) 42.81	(-) 33.68
	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	188.44	202.26	142.44	583.16	194.56	139.12	213.68	95.04	156.50	129.27	(-) 17.40	36.02
	पुलिस	61.99	61.53	71.42	62.64	83.22	63.73	158.20	80.38	160.02	67.82	(-) 57.62	(-) 15.63
	वानिकी एवं वन्य जीवन	40.00	44.32	61.00	39.12	45.00	41.36	45.00	37.37	40.00	44.29	10.73	18.52
	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	204.74	181.33	220.73	624.98	223.39	403.07	246.17	510.65	432.70	472.18	9.12	7.54
योग		**3,548.51**	**3,420.94**	**4,361.34**	**4,721.65**	**4,804.55**	**4,673.15**	**5,162.48**	**4,975.06**	**5,866.56**	**4613.12**	**(-) 21.37**	**(-) 7.28**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014 – 15 के दौरान बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में कमी (21.37 प्रतिशत) है। तथापि, संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **शहरी विकास:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (29.42 प्रतिशत) लाईसैंस फीस, कनवर्सन चार्जिज तथा कंपोजिशन फीस की कम प्राप्ति के कारण थी।

- **पुलिस:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (57.62 प्रतिशत) रेलवे तथा चुनावों, कानून व्यवस्था के लिए तैनात की गई पुलिस से राशि की अप्राप्ति तथा फीस एवं जुर्माने की कम प्राप्ति के कारण थी।

- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (10.73 प्रतिशत) वृक्षों की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

- **सड़क एवं परिवहन:** पिछले वर्षो से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (12.55 प्रतिशत) बसों तथा आवृत किलोमीटरों में वृद्धि के कारण थी।

4 प्राप्तियों से अधिक रिफंड के कारण।

- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (36.02 प्रतिशत) 2014 – 15 के दौरान बकायों की वसूली के कारण थी।

- **शहरी विकास:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (22.04 प्रतिशत) रियल एस्टेट मार्किट के साईकलीकल ट्रेंड के कारण थी।

- **अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (33.68 प्रतिशत) जुर्मानों तथा अन्य प्राप्तियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (अगस्त 2015)।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2015 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 8,206.76 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 5,896.28 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि **तालिका 1.2** में वर्णित है।

तालिका 1.2
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	7,443.04	5,611.64	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 438.80 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 58.47 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 71 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 768.81 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 193.88 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 7.35 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 5,904.73 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	179.08	96.33	₹ 8.37 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी, ₹ 0.15 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित मामले के कारण ₹ 5.96 करोड़ बकाया थे। ₹ 5.20 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 38.78 करोड़ की वसूली क्रमश: अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण थी। ₹ 0.02 करोड़ समीक्षा/परिशोधन आवेदन के लिए रोके गए थे। शेष ₹ 120.60 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	159.35	111.98	₹ एक करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंटस, चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पीटैंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 157.51 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे।
4.	यात्री एवं माल पर कर	63.62	15.23	₹ 61.22 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर तथा ₹ 2.32 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत की गई मांग के कारण बकाया थी तथा ₹ 27,000 की राशि बट्टे खाते डाली गई थी। ₹ 8 लाख की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी।
	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	218.24	28.96	₹ 165.11 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय, न्यायिक तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.37 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 52.76 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
5.	पुलिस	107.89	8.20	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 53 लाख कानून व्यवस्था तथा चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे। ₹ 29 लाख भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 99.69 करोड़ चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	10.75	2.96	₹ 7.34 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.01 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 3.40 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
7.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	24.79	20.98	₹ 16.02 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.54 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.36 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ पांच करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के रूप में देय थे तथा ₹ 1.87 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।
	योग	**8,206.76**	**5,896.28**	

1.3 कर – निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर, लग्जरी कर, निर्माण संविदाओं पर कर तथा यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे, नीचे **तालिका 1.3** में दिए गए अनुसार थे।

तालिका 1.3
कर – निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	आरंभिक शेष	2014 – 15 के दौरान कर – निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर – निर्धारण	2014 – 15 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कालम 4 से 5)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2,51,170	2,73,221	5,24,391	2,53,652	2,70,739	48
माल एवं यात्रियों पर कर	2,049	912	2,961	762	2,199	26

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, **तालिका 1.4** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4
कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2014 को लम्बित मामले	2014 – 15 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर – निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2015 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	37	2,097	2,134	2,071	15.12	63
2	राज्य उत्पाद शुल्क	695	3,117	3,812	3,092	1.99	720
3	माल एवं यात्रियों पर कर	1,474	12,688	14,162	7,567	10.83	6,595
	कुल	**2,206**	**17,902**	**20,108**	**12,730**	**27.94**	**7,378**

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में थोड़ी सी तथा माल एवं यात्रियों पर कर के मामले में अधिकता से वृद्धि हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2014 – 15 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2014 – 15 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5
रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	526	50.09	45	0.59
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	2,516	786.62	43	3.33
3.	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	2,348	647.49	50	3.62
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	694	189.22	38	0.30

बकाया मामलों की संख्या यह दर्शाती है कि बिक्री कर/बैट में नाममात्र वृद्धि तथा राज्य उत्पाद शुल्क में कमी हुई है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी, त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2015 के अन्त में 1,966 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 3,489.99 करोड़ से आवेष्टित 4,911 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ नीचे **तालिका 1.6** में उल्लिखित है।

तालिका 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,890	1,919	1,966
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	4,464	4,579	4,911
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	1,871.65	3,084.83	3,489.99

1.6.1 30 जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण **तालिका 1.6.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग – वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	276	1,911	3,200.77
		राज्य उत्पाद शुल्क	132	263	144.82
		माल एवं यात्रियों पर कर	186	328	20.17
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	18	20	10.95
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	864	1,786	77.17
		भू-राजस्व	120	159	0.43
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	256	300	12.49
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	1	1	0.04
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	113	143	23.15
योग			**1,966**	**4,911**	**3,489.99**

2014-15 के दौरान जारी किए गए 155 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदन की यह बृहद लम्बनता इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर हेतु प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए विचार कर सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2014 – 15 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण **तालिका 1.6.2** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.6.2

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	248	56.96
2	परिवहन विभाग	4	211	3.67
3	राजस्व विभाग	1	1	0.01
	योग	**11**	**460**	**60.64**

1.6.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

रिफंड मामले, वर्ष 2014 – 15 के दौरान, ₹ 908.44 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 1,618 कर – निर्धारण फाईलें, रिटर्नस, रिफंड रजिस्टर तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इन मामलों का विघटन **तालिका 1.6.3** में दिया गया है।

तालिका 1.6.3

अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षा न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड
कर – निर्धारण मामले			
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व)	2014-15	59	15.42
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व)	2014-15	79	34.67
रिफंड मामले			
11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[5]	2014-15	1,480	858.35
	योग	**1,618**	**908.44**

[5] अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में निरपवाद रूप से इंगित किया जाता है।

संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों को फरवरी तथा अगस्त 2015 के मध्य एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 30 प्रारूप अनुच्छेद भेजे गए थे। प्राप्त विभागीय उत्तरों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया था।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन – संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा समिति के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां (कृ.का.व्या.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां विलंबित की जा रही थी। 31 मार्च 2011, 2012, 2013 तथा 2014 को समाप्त वर्ष हेतु हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 85 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) मार्च 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इन अनुच्छेदों पर संबंधित विभागों से कृ.का.व्या.टि. इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रत्येक के संबंध में 36 माह के औसत विलंब के साथ देरी से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2011 से 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों (आबकारी एवं कराधान, परिवहन, राजस्व तथा खदान एवं भू-विज्ञान) से 53 अनुच्छेदों के संबंध में कृ.का.व्या.टि., जैसा **अनुलग्नक I** में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (मई 2015)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 21 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 21 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2014-15 की उनकी 71वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। लोक लेखा समिति की 22वीं से 71वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2009-10 की अवधि से संबंधित 820 सिफारिशें, जैसा कि **अनुलग्नक II** एवं **III** में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष–0030 के अंतर्गत स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस (राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग) के निष्पादन तथा वर्ष 2004–05 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2015 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका 1.7.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.7.1

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य
2005-06	923	2292	32.26	105	295	12.14	5	156	2.77	1023	2431	41.63
2006-07	1023	2431	41.63	107	413	12.47	92	286	1.72	1038	2558	52.38
2007-08	1038	2558	52.38	140	436	9.15	191	754	21.35	987	2240	40.18
2008-09	987	2240	40.18	161	304	17.80	213	388	4.76	935	2156	53.22
2009-10	935	2156	53.22	117	325	12.49	74	306	10.23	978	2175	55.48
2010-11	978	2175	55.48	106	276	12.11	177	450	7.42	907	2001	60.17
2011-12	907	2001	60.17	97	328	12.52	222	650	17.68	782	1679	55.01
2012-13	782	1679	55.01	89	220	8.58	70	210	7.44	801	1689	56.15
2013-14	801	1689	56.15	89	207	15.23	26	110	1.71	864	1786	69.67
2014-15	864	1786	69.67	89	314	22.43	25	107	3.20	928	1993	88.90

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 928 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 1,993 तक घट गई। तथापि, सरकार, शेष पुराने अनुच्छेदों के समायोजन के लिए विभाग तथा प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के मध्य तदर्थ समिति की बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करती है।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति **तालिका 1.7.2** में दी गई है:

तालिका 1.7.2
स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2004-05	04	1.47	04	1.47	शून्य	शून्य
2005-06	03	7.25	03	7.25	0.11	0.11
2006-07	03	0.34	03	0.34	0.01	0.01
2007-08	04 01 (समीक्षा)	1.70 24.69	04 01 (समीक्षा)	1.70 15.11	शून्य	0.01
2008-09	05	0.76	05	0.76	0.01	0.06
2009-10	01 (समीक्षा)	22.85	01 (समीक्षा)	20.96	0.12	2.44
2010-11	06	5.49	06	5.49	0.02	0.09
2011-12	06	4.13	06	4.13	शून्य	0.38
2012-13	07	65.27	07	65.27	0.13	0.17
2013-14	06 01 (आई.टी. लेखापरीक्षा)	18.30 203.87	06 01 (आई.टी. लेखापरीक्षा)	18.30 203.87	0.01 शून्य	0.01 शून्य
योग	**44 03 (समीक्षा / आई.टी. लेखापरीक्षा)**	**104.71 251.41**	**44 03 (समीक्षा / आई.टी. लेखापरीक्षा)**	**104.71 239.94**	**0.29 0.12**	**3.28**
कुल योग	**47**	**356.12**	**47**	**344.65**	**0.41**	**3.28**

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत कम (0.95 प्रतिशत) थी।

विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मानीटर करने हेतु शीघ्र कार्रवाई कर सकता है।

1.8 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा की गई समीक्षाएं/आई.टी. लेखापरीक्षा संबंधित विभाग/सरकार को उनकी सूचना हेतु उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं/आई.टी. लेखापरीक्षा पर एग्जिट कांफ्रेस में भी चर्चा की गई थी तथा विभागों/सरकार के विचार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं/आई.टी. लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए गए थे।

वर्ष 2013 – 14 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई राजस्व विभाग, हरियाणा की **'हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली' (हैरिस)** नामक आई.टी. लेखापरीक्षा के साथ चार सिफारिशों पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी थी।

1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग का विभिन्न विभागों में अधीनस्थ लेखा सेवा पास कार्मिकों की तैनाती/नियुक्ति पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण है। संबंधित विभाग, अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्ययोजना के प्रतिपादन एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2014 – 15 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 271 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 229 यूनिटों (85 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसा कि **तालिका 1.9** में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.9
आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान किए गए यूनिटों की संख्या	लेखापरीक्षा किए गए यूनिटों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	130	130
राज्य उत्पाद शुल्क	21	12
वैट/बिक्री कर	21	शून्य
मोटर वाहन कर	78	78
यात्री एवं माल कर	21	9
योग	**271**	**229**

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि हमारे द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं में से कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट तथा मनोरंजन शुल्क) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा अन्य मानदंडों की विगत प्रवृत्तियों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर-प्रबन्ध में गंभीर मामले अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर-प्रबन्ध के घटक, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि शामिल होते हैं।

वर्ष 2014 – 15 के दौरान 619 लेखापरीक्षा योग्य यूनिट थे, जिनमें से 319 (राजस्व 280 + व्यय 39) यूनिटों की योजना बनाई गई तथा लेखापरीक्षा की गई थी।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 319 (राजस्व 280 + व्यय 39) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2014 – 15 के दौरान की गई नमूना – जांच ने 3,89,086 मामलों में कुल ₹ 2,677.30 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,993 मामलों में आवेष्टित ₹ 394.96 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जो 2014 – 15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। विभागों ने वर्ष 2014 – 15 के दौरान 201 मामलों में ₹ 6.62 करोड़ संगृहीत किए थे।

1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 407.87 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित **'वैट के अंतर्गत कर – निर्धारण की प्रणाली'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 23 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 387.46 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से आठ अनुच्छेदों में ₹ 5.75 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।

अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबन्ध

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) कानून तथा उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा संचालित किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), आबकारी एवं कराधान विभाग का मुखिया होता है जिसकी सहायता के लिए नौ अपर-ई.टी.सी., 10 संयुक्त-ई.टी.सीज, 50 उप-ई.टी.सीज तथा 203 आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओज) होते हैं। संबंधित कर नियमों तथा कानूनों के संचालन के लिए उनकी सहायता आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य संबद्ध स्टॉफ द्वारा की जाती है।

2.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 में 41 वैट/बिक्री कर-निर्धारणों से संबंधित अभिलेखों (राजस्व इकाइयां: 32 तथा व्यय इकाई: 9) तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,438 मामलों में ₹ 2,328.72 करोड़ के कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई जो **तालिका 2.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	**"वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा**	**1**	**310.48**
2.	कर का अवनिर्धारण	723	379.84
3.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' का स्वीकरण	52	7.05
4.	विक्रयों/क्रयों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	67	14.72
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	168	28.41
6.	अन्य अनियमितताएं	427	1,588.22
योग		**1,438**	**2,328.72**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 83 मामलों में ₹ 308.00 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 11 मामलों में आवेष्टित ₹ 290.74 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 42 मामलों में ₹ 1.14 करोड़ वसूल कर लिए थे जिनमें से ₹ 0.13 करोड़ से आवेष्टित नौ मामले वर्ष 2014-15 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 327.94 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित **"वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.2 वैट के अंतर्गत कर–निर्धारण की प्रणाली

2.2.1 विशिष्टताएं

- पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करने के अतिरिक्त कर–निर्धारणों के अंतिमकरण के लिए प्रावधान के अभाव के कारण दो मामलों में ₹ 17.52 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8)

- अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से अन्तर्विभागीय डाटा की विनिमय प्रणाली स्थापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 605 मामलों में ₹ 35.66 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 35.66 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.9)

- ₹ 235.50 करोड़ मूल्य की अवर्गीकृत मदो पर 12.5 प्रतिशत की लागू दर के विरूद्ध चार/पांच प्रतिशत के कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप 49 मामलों में ₹ 92 लाख के अनियमित रिफंड के अतिरिक्त ₹ 14.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.11.1)

- कर–निर्धारण प्राधिकारियों (ए.एज) ने जाली घोषणा फार्मों सी, एफ तथा एच के विरूद्ध माल की बिक्री/हस्तांतरण पर कर की शून्य/रियायती दर अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप 16 मामलों में ₹ 13.23 करोड़ की पेनल्टी तथा ₹ 4.41 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.11.2)

- कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने सी फार्मों पर बेचे गए माल के गतिविधि के प्रमाण प्रस्तुत न करने तथा झूठी रिटर्नों/वैट सी–4 प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए कर की अन्तरीय राशि उद्गृहीत की किंतु 13 मामलों में ₹ 18.07 करोड़ की अनिवार्य पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

{अनुच्छेद 2.2.11.3 (i) तथा (ii)}

- कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने कैरी–फारवर्ड कर का गलत परिकलन, कर रियायत की छूट तथा 90 मामलों में ₹ 55 करोड़ के ब्याज तथा सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.11.4)

- चैकलिस्टें बनाने, घोषणा फार्मों के लेखे प्राप्त करने, कर के भुगतान के प्रमाण, बिक्रियों/क्रयों के क्रास सत्यापन तथा माल की गतिविधि की चैकिंग करने के संबंध में मार्च 2006/फरवरी 2007/जुलाई 2013 को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करने के बावजूद ए.एज द्वारा मामलों की समीक्षा करते समय उनका अनुसरण नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.2.12.2)

- रिटर्नें फाईल न करने के लिए पेनल्टी के उद्ग्रहण, उचित प्रोफार्मा (वैट ए–4) में रिफंड आवेदन प्राप्त करने, फार्म सी में बेची गई/खरीदी गई मदों की शब्दावली का वर्णन करने, संपूर्ण सी–4, वैट डी–2/एच फार्मों को स्वीकार करने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। आगे, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण न करने, कर–निर्धारण आदेशों/मांग नोटिसों को देरी से जारी करने तथा मामलों के पुनः कर–निर्धारण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 16.46 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

{अनुच्छेद 2.2.12.2 (क–ड.) तथा 2.2.12.3}

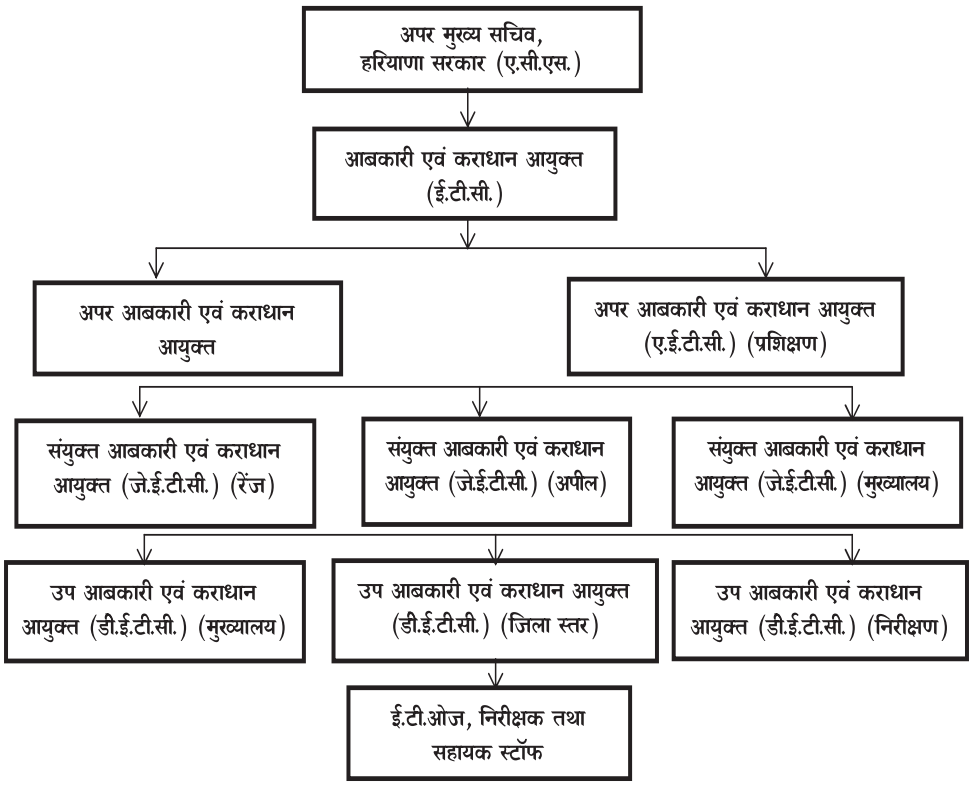
2.2.2 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार ने मूल्य वर्धित कर (वैट) अप्रैल 2003 से आरंभ किया। हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (एच.वी.ए.टी. नियम, 2003) हरियाणा में बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर मूल्य वर्धित कर (वैट) के उद्ग्रहण एवं संग्रहण का प्रावधान करते हैं। वैट, आरंभिक चरण पर भुगतान किए गए कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति के लिए प्रावधान के साथ, मूल्य वर्धन चेन के प्रत्येक चरण पर उद्गृहीत एक बहुचरणीय कर है, जिसका विनियोजन परवर्ती बिक्री पर वैट देयता के विरूद्ध किया जा सकता है। वैट, राज्य राजस्व का मुख्य हिस्सा संघटित करता है। कर-निर्धारण का कर संग्रहण तथा कर प्रबंध की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव होता है। मामलों के कर-निर्धारण के लिए मापदंड राज्य सरकार द्वारा नियत किया गया है।

2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम एवं नियमों के नियंत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर ई.टी.सी., हरियाणा तथा सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग उत्तरदायी हैं। ई.टी.सी. की सहायता के लिए नौ ए.ई.टी.सीज, जे.ई.टी.सीज, मुख्यालय तथा जिला स्तर पर डी.ई.टी.सीज, ई.टी.ओज, कराधान इन्सपैक्टर तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी होते हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग का संगठनात्मक ढांचा



2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी क्या:

- मामलों के चयन के लिए कर-निर्धारण मानदंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, यदि ऐसा है तो चयन निर्धारित मानदंड के अनुसार किया गया था;
- कर-निर्धारण, अधिनियम, नियमों तथा आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं; तथा
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है।

2.2.5 कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

राज्य में 23 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {(डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}, कार्यालयों में से आठ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[1] कार्यालयों में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान किए गए कर-निर्धारणों से संबंधित अभिलेखों की दिसंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य नमूना-जांच की गई थी जो रिपलेसमैंट के साथ साइज से अनुपातिक संभाव्यता के आधार पर चयन किए गए थे। इसके अतिरिक्त 11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी)[2] कार्यालयों के संबंध में 2012-13 से 2014-15 के दौरान जारी रिफडंस की जांच के परिणाम तथा अन्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित मामले भी निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गए हैं। एंट्री कांफ्रेंस के दौरान विभाग द्वारा जैसा चाहा गया था, 2014-15 के दौरान निर्धारित कुछ मामलों की भी नई संवीक्षा मानदंड[3] के अंतर्गत नमूना-जांच की गई है।

अपर मुख्य सचिव, (ए.सी.एस.), हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई (जनवरी 2015) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड तथा जिलों के चयन के लिए अपनाई गई पद्धति पर व्याख्या/चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विभाग तथा सरकार को अगस्त 2015 में टिप्पणी के लिए भेजा गया। ए.सी.एस., हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग, ई.टी.सी., ए.ई.टी.सीज तथा अन्य अधिकारियों के साथ 28 अक्तूबर 2015 को एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई। आगे, 26 नवंबर 2015 को भी चर्चा की गई थी। विभाग/सरकार के विचार निष्पादन लेखापरीक्षा में सही ढंग से शामिल किए गए हैं। लेखापरीक्षा सरल करने के लिए आवश्यक सूचना तथा रिकार्ड प्रदान करने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

1 अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

2 अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), फतेहाबाद, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा तथा सोनीपत।

3 कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा कर-निर्धारण जांच को प्रभावी बनाने हेतु विभाग ने एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 27 में दिए गए अनुसार निश्चित श्रेणियों को छोड़ने के बाद संवीक्षा मामलों की संख्या कम करके 5000 कर दी (16 जुलाई 2013)।

2.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से लिए गए हैं:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम एवं नियम, 2003 तथा उनके अधीन किए गए संशोधन;
- सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 उसके अधीन बनाए गए नियम;
- सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अधिसूचनाएं; तथा
- माननीय न्यायालयों/ट्रिब्यूनल के निर्णय/आदेश।

प्रणाली कमियां

2.2.7 कंप्यूटरीकरण

वैट के सूत्रपात में बेहतर कर प्रशासन के लिए कर अभिलेखों, पंजीकरण विवरणों तथा घोषणा फार्मों के निर्गम इत्यादि का कंप्यूटरीकरण करने पर विचार किया गया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि राज्य में वैट के सूत्रपात के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग में कंप्यूटरीकरण का न्यूनतम स्तर भी विद्यमान नहीं था। विभाग में कंप्यूटरीकरण प्रशासनिक कार्य, डीलरों, ठेकेदारों तथा व्यापारियों इत्यादि के डाटाबेस रखने तक सीमित है जबकि कर-निर्धारण से संबंधित मुख्य कार्य, अर्थात् क्रय/विक्रय संपादनों, जमा किए गए कर का सत्यापन, अवैध आई.टी.सी. का पता लगाना आदि, अन्य जिलों/राज्यों को पत्र जारी करने के माध्यम से मैनुअली किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप, ई.टी.सी. हरियाणा को एक वर्ष में एक अकेले वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक योग वाले सभी क्रय/विक्रय संपादनों के मैनुअल क्रास सत्यापन के लिए मार्च 2006 तथा जुलाई 2013 में निर्देश जारी करने पड़े। इससे बचा जा सकता है यदि राष्ट्रीय नेटवर्क कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) को जोड़ने के माध्यम से लेन-देनों/घोषणा फार्मों की यथार्थता का सत्यापन करने के लिए बिक्रियों/क्रयों से संबंधित सूचना, घोषणा फार्मों के निरस्तीकरण इत्यादि को अपलोड करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली आरंभ की गई होती। ऐसी कंप्यूटरीकृत प्रणाली की कमी ने विभाग को प्रभावी कर प्रबंध एवं प्रशासन में बाधित किया है। ***यह मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था।***

दिसंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य, आठ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[4] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि 77 मामलों में वैट डीलरों से ₹ 740.32 करोड़ की खरीद पर ₹ 40.59 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ 2009-10 से 2013-14 वर्षों के दौरान क्रय/विक्रय लेन-देनों के क्रास सत्यापन के बिना अनुमत कर दिया।

यद्यपि वैट के प्रारंभ के बाद कंप्यूटरीकरण अनिवार्य था, मुख्यत: अपर्याप्त कंप्यूटरीकरण के कारण विभागीय यंत्रावली, मामलों का शीघ्र निपटान करने, जाली/अविद्यमान डीलरों को ढूंढने, अवैध क्रय/विक्रय लेन-देनों, जमा किए गए कर के सत्यापन, आई.टी.सी. के कपटपूर्ण दावों तथा जाली फार्मों का पता लगाने इत्यादि में विफल रही, जैसाकि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि कंप्यूटरीकरण पर कार्य चल रहा है तथा शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा।

[4] अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

2.2.8 पंजीकरण प्रमाण–पत्र (आर.सी.) के रद्द करने के अतिरिक्त कर–निर्धारण के अंतिमकरण के लिए प्रावधान का अभाव

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 14 में आर.सी. के रद्द करने की प्रक्रिया का प्रावधान है तथा डीलर से आर.सी. रद्द करने के आवेदन सहित विभाग से प्राप्त किए गए प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त घोषणा फार्मों को सरेंडर करना अपेक्षित है। तथापि, आर.सी. रद्द करने के अतिरिक्त कर–निर्धारण के अंतिमकरण के संबंध में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था।

अप्रैल 2015 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान यह पाया गया कि दो डीलरों ने क्रमश: 31 मार्च 2014 तथा 1 नवंबर 2014 से अपना व्यापार बंद कर दिया था तथा आर.सी. रद्द करवाने के लिए आवेदन दिए (अप्रैल 2014/नवंबर 2014)। ए.ए. ने अप्रयुक्त घोषणा–पत्र वापस प्राप्त किए बिना अथवा कर–निर्धारण अंतिम किए बिना आर.सी. रद्द कर दिए (नवंबर 2014/फरवरी 2015)। आगे, यह देखा गया कि 2013–14 के दौरान डीलरों ने ₹ 83.45 करोड़ मूल्य की सिगरेटों के विक्रय के टर्नओवर से आवेष्टित अपनी रिटर्नस फाईल की थी। आर.सीज के रद्द करने के अतिरिक्त कर–निर्धारणों के अंतिमकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 17.52 करोड़ (21 प्रतिशत की दर पर) के कर की वसूली नहीं हुई। यदि आर.सीज के रद्द करने के अतिरिक्त कर–निर्धारणों के अंतिमकरण के लिए प्रावधान किया गया होता, डीलरों से ₹ 17.52 करोड़ की राशि की वसूली की जा सकती थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि कर–निर्धारण यथाशीघ्र अंतिम कर लिया जाएगा तथा अधिनियम में आवश्यक प्रावधान कर दिया जाएगा। विभाग ने यह भी बताया कि कर–निर्धारण प्राधिकारियों को कुछ समय में निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.9 निर्माण ठेकेदारों का अपंजीकरण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत कर–निर्धारण प्राधिकारी किसी कार्यवाही से संबंधित अन्य विभागों/निगम/व्यक्तियों से अथवा कर प्रबंध के लिए उपयोगी सूचना/डाटाबेस की मांग कर सकता है तथा धारा–16 में अपंजीकृत डीलरों के कर–निर्धारण के दौरान नियत किए गए कर के बराबर कर तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[5] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, यह पाया गया कि विभाग ने अपंजीकृत डीलरों तथा कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए अन्य विभागों के पास उपलब्ध सूचना के क्रास सत्यापन के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने 11 कार्यालयों[6] से एकत्रित सूचना का क्रास सत्यापन किया तथा पाया कि 605 अपंजीकृत डीलरों (निर्माण ठेकेदारों) ने पंजीकरण के लिए कर–योग्य टर्नओवर की अंतिम सीमा पार की थी क्योंकि उन्होंने 2009–10 से 2013–14 के दौरान ठेका कार्यों के निष्पादन के लिए भुगतान प्राप्त किए थे परंतु अपने आप को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करवाया। अन्य विभागों से सूचना, जो अपंजीकृत डीलरों की पहचान, पंजीकरण तथा निर्धारण करने की प्रक्रिया को सुगम बनाती, के संग्रहण हेतु प्रणाली स्थापित

5 फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर तथा सोनीपत।

6 नगर परिषद/निगम (एम.सी.): बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, यमुनानगर, कार्यकारी अभियंता (का.अ.), हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.): बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, यमुनानगर, तथा कार्यकारी अभियंता हाउसिंग बोर्ड: गुड़गांव।

करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 35.66 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 35.66 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा अन्य ठेके देने वाले विभागों के साथ सलाह करके निर्माण ठेकेदारों का पंजीकरण अनिवार्य करने हेतु कहा।

2.2.10 संवीक्षा मामलों का चयन मापदंड

(i) एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा – 15 के साथ पठित नियम 27 के अंतर्गत राज्य सरकार ने कर – निर्धारण का मापदंड निर्धारित किया है। एक वर्ष में ₹ 500 लाख से अधिक सकल टर्नओवर वाले, ₹ 10 लाख से अधिक आई.टी.सी. का दावा, ₹ तीन लाख से अधिक रिफंड का दावा, एक वर्ष में अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान किए गए विक्रयों का दावा तथा ₹ 25 लाख से अधिक माल का निर्यात, कोई कर रियायत लेने वाली औद्योगिक इकाइयों के मामले, सकल टर्नओवर में कमी के मामले, लेखाओं के साथ मेल न खाने वाले माल के क्रय/विक्रय अथवा कनसाईनमेंट के दावे, कर के अपंवचन के बारे निश्चित इंटेलीजेंस पर आधारित मामले तथा आर.सी. इत्यादि रद्द करने के मामले संवीक्षा के लिए, लिए जाने हैं। अन्य सभी मामले अधिनियम की धारा 15 (1) के अंतर्गत कर – निर्धारित किए गए माने जाएंगे।

आठ डी.ई.टी.सी. (एस.टी)[7] कार्यालयों में, 2006 – 07 से 2010 – 11 तक कर – निर्धारण वर्षों के लिए संवीक्षा हेतु मापदंड के अनुसार 1,03,020 मामले चयन किए गए थे तथा 2009 – 10 से 2013 – 14 के दौरान कर – निर्धारित किए गए थे, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	श्रेणियां	2009-10 (2006-07)	2010-11 (2007-08)	2011-12 (2008-09)	2012-13 (2009-10)	2013-14 (2010-11)	योग
1	₹ 500 लाख से अधिक जी.टी.ओ.	1,913	2,087	1,704	2,699	2,935	11,338
2	एक साल में ₹ 10 लाख से अधिक इनपुट कर का दावा	1,522	1,492	1,415	1,896	2,177	8,502
3	₹ तीन लाख से अधिक रिफंड का दावा	84	27	22	62	60	255
4	एक साल में ₹ 50 लाख से अधिक आई.एस.एस.	2,474	2,790	2,225	3,343	3,780	14,612
5	जी.टी.ओ. या कर के भुगतान में 20 प्रतिशत से अधिक कमी	2,341	1,989	1,798	1,587	1,455	9,170
6	लोहा तथा स्टील के व्यापार में लगे डीलर	769	551	364	881	799	3,364
7	रिटर्नस का पूर्ण न करना	3,672	4,052	5,047	3,677	4,807	21,255
8	अन्य	5,102	5,612	10,520	6,327	6,963	34,524
योग		**17,877**	**18,600**	**23,095**	**20,472**	**22,976**	**1,03,020**

1,03,020 संवीक्षा मामलों में से 2,275 मामलों की दिसंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य सभी श्रेणियों से नमूना – जांच की गई थी तथा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किए गए हैं:

(ii) संवीक्षा मामलों की संख्या में कमी

कर – निर्धारण वर्ष 2010 – 11 तक, औसतन 50,000 मामलों का प्रत्येक वर्ष संवीक्षा के अंतर्गत कर – निर्धारण करवाया जा रहा था। कार्य को सुचारू बनाने के लिए तथा संवीक्षा कर – निर्धारण को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने श्रेणियों जैसे (क) एक साल में ₹ पांच सौ लाख से अधिक सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.), (ख) वर्ष में ₹ दस लाख से अधिक इनपुट टैक्स का दावा, (ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर

[7] अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

माल के निर्यात के दौरान अथवा वर्ष में ₹ पच्चीस लाख से अधिक भारत की सीमा के अंदर माल के आयात के दौरान किए गए विक्रयों का दावा, (घ) रैंडम से चयन किए गए मामले, (ड) मामले जिनमें डीलर उसके लिए एक अवसर दिए जाने के बाद सामग्री विवरणों में रिटर्नस पूरा करने में विफल रहता है तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने के मामलों को छोड़कर संवीक्षा के लिए मामलों की संख्या कम करने का निर्णय लिया (16 जुलाई 2013)। राज्य सरकार ने संपूर्ण राज्य के लिए वार्षिक रूप से मामलों की संवीक्षा के लिए अधिकतम संख्या 5,000 तक निश्चित कर दी, इसके अतिरिक्त ए.एज अपनी पसंद के 10-15 मामले चुन सकते हैं। प्रत्येक जिले के डी.ई.टी.सी. की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जिला-वार मामलों का चयन किया जाना था। आगे, कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक 100 प्रतिशत सत्यापन के बाद आई.टी.सी. अनुमत किया जाना था। इस पर बल दिया गया कि संवीक्षा मामले दिनांक 14 मार्च 2006 तथा 16 जुलाई 2013 के निर्देशों के अनुसार कड़ाई से संव्यवहार किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चयन मापदंड सही नहीं था क्योंकि चयन न्यायोचित नहीं हो सका क्योंकि 10-15 मामलों का चयन ए.एज द्वारा उनकी इच्छा तथा प्रत्येक जिले के डी.ई.टी.सी. की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा किया जाना था। इस प्रकार, यह ए.एज तथा डी.ई.टी.सी. की इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि किसी मामले का चयन करें या न करें। चयन करने के लिए कोई निष्पक्ष मापदंड नहीं निर्धारित नहीं किए गए थे तथा यह पिक एंड चूज पद्धति स्वनिर्णय के दुरूपयोग के जोखिम से आलिप्त थी। छः डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[8] के कार्यालयों के 105 मामलों की संवीक्षा ने नीचे तालिकाबद्ध अनियमितताओं के अनुसार संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता में कोई प्रभावकारिता तथा सुधार प्रकट नहीं किया:-

2014 – 15 के दौरान निर्धारित संवीक्षा मामलों के निर्धारण में अनियमितताएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	कर/ब्याज			अनियमितताओं की प्रकृति/टिप्पणी
		उद्ग्रहणीय	उद्गृहीत	कम उद्गृहीत	
1	जगाधरी	12.20	0	12.20	एक मामले में कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए देय कर के विरूद्ध ₹ 12.20 लाख स्वेच्छा से जमा करवाए गए तथा उन्हीं बैंक चालानों पर जमा कर की वही राशि कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित कर के विरूद्ध समायोजित की गई।
2	गुड़गांव (पश्चिम) तथा जगाधरी	29.26	0	29.26	तीन मामलों {गुड़गांव (पश्चिम) (1); जगाधरी (2)} में कर के कम भुगतान पर ₹ 29.26 लाख का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया था।
3	गुड़गांव (पश्चिम) तथा जगाधरी	159.87	131.56	28.31	तीन मामलों में कर की गलत दर लागू करने के कारण ₹ 28.31 लाख का कर कम निर्धारित किया गया।
4	जगाधरी	3.82	0	3.82	कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रहणीय था। दो मामलों में सरचार्ज उद्गृहीत नहीं किया गया था।
5	गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी तथा सोनीपत	90.58	0	90.58	सात मामलों में, ए.एज ने स्टॉक अंतरण/कर-मुक्त विक्रय पर आई.टी.सी. कम रिवर्स किया था।
6	जगाधरी	39.52	0	39.52	दो मामलों में, ए.ए. ₹ 1.67 करोड़ की विविध आय तथा ₹ 1.35 करोड़ की अभ्यर्पित आय पर कर उद्गृहीत करने में विफल रहे।
7	अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर तथा सोनीपत	0	0	0	कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक क्रयों/विक्रयों के 100 प्रतिशत सत्यापन के लिए स्पष्ट मार्गनिर्देशों/निर्देशों के बावजूद, ए.ए. ने 41 मामलों में क्रयों/विक्रयों के क्रास सत्यापन के बिना आई.टी.सी. का लाभ अनुमत कर दिया।

[8] अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर तथा सोनीपत।

पूर्ववर्ती प्रणाली के अंतर्गत नमूना-जांच किए गए 2,275 मामलों में से 182 मामलों (आठ प्रतिशत) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई थी जबकि (2014-15 के दौरान निर्धारित कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित) नमूना-जांच किए गए 105 मामलों में से 48 मामलों (46 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई थी। इस प्रकार, कर-निर्धारण की संख्या 50,000 से 5,000 तक कम करने के बाद भी कर-निर्धारण में कोई सुधार नहीं देखा गया था। इसके अतिरिक्त, नई प्रणाली में देखी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां चयन की पिछली प्रणाली की अभ्युक्तियों के समान थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग सभी मामलों में क्रयों/विक्रयों तथा कर के भुगतान के क्रास सत्यापन के लिए सभी फील्ड कार्यालयों को मार्गनिर्देश जारी करने के लिए सहमत हो गया।

अनुपालन कमियां

ए.एज द्वारा मामलों का कर-निर्धारण वर्तमान नियमों तथा विनियमों के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित था। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि कर-निर्धारण अंतिम करते समय अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

2.2.11.1 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण/ अनियमित रिफंड

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दरें ए से जी तक सूची के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अंतर्गत, किसी सूची में वर्गीकृत वस्तुओं से अन्य कोई वस्तु, जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। 2 अप्रैल 2010 से कर की 5 प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य था। कर के भुगतान में चूक के मामले में धारा 14 (6) के अंतर्गत आगे ब्याज भी उद्ग्रहणीय है।

अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वैट डीलर को, माल से संबंधित में कर के संबंध में इनपुट टैक्स का रिफंड स्वीकार्य होगा जो भारत की सीमा से बाहर माल के निर्यात के दौरान बेचा गया है या राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में निम्नतर दर पर बेचे माल पर कर की दर के अंतर के कारण है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2013 तथा मई 2015 के मध्य) कि 16 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[9] में 49 मामलों में डीलरों ने 2008-09 तथा 2012-13 के मध्य ₹ 235.50 करोड़ मूल्य की अवर्गीकृत मदें अर्थात् भवन सामग्री, मशीनी पुर्जे, पनीर, अस्पताल उपकरण, साबुन, नूडल्ज इत्यादि बेचे थे। फरवरी 2012 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने चार/पांच तथा 12.5 प्रतिशत के कर की लागू दर की बजाय शून्य से चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त सात मामलों में ₹ 92 लाख के अनियमित रिफंड जारी किए गए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

[9] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, हिसार, कैथल, करनाल, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सिरसा तथा सोनीपत।

2.2.11.2 जाली फार्मों के विरूद्ध लाभ अनुमत करने के कारण अवनिर्धारण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3), 6ए तथा 8(4) में क्रमश: घोषणा फार्म एच, एफ तथा सी के विरूद्ध किए गए विक्रयों पर कर की शून्य/रियायती दर के उद्ग्रहण का प्रावधान है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कर के भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[10] कार्यालयों में 16 डीलरों ने घोषणा फार्मों सी, एफ तथा एच के विरूद्ध ₹ 37.91 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री/अंतरण पर कर की रियायती दर का दावा किया (2006-07 से 2011-12) तथा सितंबर 2009 तथा मार्च 2014 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम करते समय ए.एज द्वारा सौदों/फार्मों के सत्यापन, जैसा कि मार्च 2006 में जारी निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित था, के बिना इसकी अनुमति दे दी गई। लेखापरीक्षा द्वारा टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. तथा जारीकर्त्ता कार्यालयों से क्रास सत्यापन पर ₹ 4.41 करोड़ के कर से आवेष्टित ₹ 37.91 करोड़ मूल्य के फार्म उक्त कार्यालयों द्वारा जारी किए नहीं पाए गए। इस प्रकार, जाली सी, एफ तथा एच घोषणा फार्मों के विरूद्ध लाभ अनुमत करने के परिणामस्वरूप एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत उद्ग्राहय ₹ 13.23 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 4.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.3 विक्रयों/क्रयों के छिपाव के कारण कर का अपवंचन तथा इन पर पेनल्टी उद्ग्रहण में विफलता

एस.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि यदि कोई डीलर कर भुगतान से बचने के लिए झूठे लेखे रखता है या गलत लेखे, रिटर्नज या दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ए.ए. अपवंचित/बचाए गए कर के अतिरिक्त पेनल्टी (तीन गुणा) उद्गृहीत कर सकता है।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा तथा भिवानी के कार्यालयों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2011 तथा दिसंबर 2014 के मध्य) कि सिरसा जिला के सात डीलरों ने फार्म सी में घोषणा के विरूद्ध ₹ 13.11 करोड़ मूल्य के विक्रय पर रिआयती दर पर कर का भुगतान किया। जांच पर, विभाग ने पाया कि माल का वास्तविक लेन-देन नहीं हुआ था। बाद में, आर.ए. ने उक्त विक्रयों पर कर की पूर्ण दर उद्गृहीत की तथा ₹ 2.49 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु ₹ 7.47 करोड़ की पेनल्टी उद्गहण करने में विफल रहे। आगे, भिवानी जिले के दो डीलरों ने विक्रीत माल का अवमूल्यन करके ₹ 22.48 करोड़ के विक्रय को छिपाया था। मार्च 2010 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने विक्रय के छिपाए गए मूल्य पर कर उद्गृहीत किया परंतु ₹ 8.43 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे तथा पेनल्टी के अनुद्ग्रहण के लिए आदेश में कुछ भी वर्णित नहीं था।

(ii) लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2015) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फतेहाबाद, फरीदाबाद (पश्चिम) तथा गुड़गांव (पश्चिम) के अंतर्गत चार डीलरों ने 2005-06 से 2010-11 के दौरान झूठी रिटर्नस/वैट सी-4 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके ₹ 10.51 करोड़ की अमान्य खरीदों पर ₹ 72.28 लाख के मूल्य के आई.टी.सी. के लाभ का दावा किया। मार्च 2012 तथा

[10] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव(पश्चिम), झज्जर, जींद, हिसार, करनाल, सिरसा तथा जगाधरी।

मार्च 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने आई.टी.सी. के दावे की अनुमति नहीं दी परंतु ₹ 2.17 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

(iii) लेखापरीक्षा ने देखा कि चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[11] के अंतर्गत छः डीलरों ने ₹ 22.37 करोड़ मूल्य के विक्रयों/क्रयों को छिपाया था तथा ₹ 1.25 करोड़ के कर का भुगतान बचाया था। मार्च 2011 तथा नवंबर 2013 के मध्य कर-निर्धारण फाईनल करते समय ए.एज ₹ 3.75 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 1.25 करोड़ का कर उद्ग्रहण करने में विफल रहे यद्यपि, छिपाने की सूचना फाईल में उपलब्ध थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.4 कर/ब्याज/सरचार्ज का उद्ग्रहण न करने के कारण अवनिर्धारण तथा कर रियायत के अधिक लाभ की अनुमति

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक पंजीकृत डीलर कर के भुगतान के बाद हरियाणा के वैट डीलरों से माल की खरीद पर आई.टी.सी. के लाभ के लिए अधिकृत है। वर्ष के अंत पर क्लोजिंग स्टॉक में आवेष्टित आई.टी.सी. अगले वर्ष में कैरी-फारवर्ड किया जाता है। इनपुट टैक्स (कैरिड-फारवर्ड) तथा क्लोजिंग स्टॉक एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए।

सरकार ने स्पष्ट किया कि 8 अप्रैल 2011 से प्रभावी बुने हुए तथा कढ़ाई किए गए वस्त्रों पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्राह्य है। सभी किस्मों की पाइपें 14 फरवरी 2010 तक चार प्रतिशत तथा उसके बाद 5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। एस.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) में कर के देरी से/कम भुगतान पर ब्याज उद्ग्रहण का प्रावधान है। सरकार ने 10 फरवरी 2014 को स्पष्ट कर दिया था कि ठेकेदार, जिन्होंने कर की एवज में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प दिया था, की धारा 7 ए के अंतर्गत सरचार्ज के भुगतान के लिए दायी हैं। एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 69(2) के साथ पठित धारा 61 के अंतर्गत एक औद्योगिक इकाई यदि रिटर्नस के साथ देय कर का पचास प्रतिशत भुगतान करती है तो उसे कर के पूर्ण भुगतान तथा लाभ प्राप्त के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.एज ने कर के कैरी-फारवर्ड को गलत परिकलित किया, कर मुक्त विक्रय की गलत कटौती, कर रियायत के अधिक लाभ की अनुमति दी तथा ₹ 0.04 करोड़ के अनियमित रिफंड के अलावा ₹ 55 करोड़ के ब्याज तथा सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं किया जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	कर-निर्धारणों के वर्ष	राशि	अनियमितताओं की प्रकृति
1	6[12]	54	2008-09 से 2013-14	₹ 20.48 करोड़	डीलरों द्वारा गलत लेखाओं के प्रस्तुतिकरण के कारण ए.ए. ने कर का गलत कैरीफारवर्ड परिकलित किया तथा धारा 38 के अंतर्गत कर तथा पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप

[11] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), सिरसा तथा सोनीपत।

[12] फरीदाबाद (पूर्व), फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र तथा सोनीपत।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	कर – निर्धारणों के वर्ष	राशि	अनियमितताओं की प्रकृति
					₹ 20.48 करोड़ के कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।
2	5[13]	6	2010-11 से 2012-13	₹ 3.47 करोड़	ए.ए. ने करमुक्त बिक्री की गलत छूट अनुमत की तथा एम्ब्राइडर्ड फैब्रिक्स एवं एच.डी.पी.ई. पाइपों की बिक्री पर कर उद्ग्रहण करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।
3	8[14]	14	2006-07 से 2011-12	₹ 4.05 करोड़	ए.एज कर के कम भुगतान {धारा 14 (6) के अंतर्गत} तथा अतिरिक्त मांग के देरी से भुगतान {धारा 23 (1) के अंतर्गत} पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ₹ 4.05 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।
4	8[15]	15	2010-11 से 2011-12	₹ 0.31 करोड़	ए.एज ₹ 0.31 करोड़ के सरचार्ज का उद्ग्रहण करने में विफल रहे तथा अतिरिक्त रूप से ₹ 0.04 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत किया।
5	1[16]	1	2007-08 एवं 2008-09	₹ 29.69 करोड़	ए.ए. ने ₹ 53.38 करोड़ के 100 प्रतिशत के विरूद्ध कर रियायत के लाभ का 50 प्रतिशत परिगणित किया परिणामस्वरूप डीलर को ₹ 26.69 करोड़ की कर रियायत का अधिक लाभ हुआ।
	कुल	**90**		**₹ 55.00 करोड़**	

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.5 आई.टी.सी. के न/गलत रिवर्सल के कारण अवनिर्धारण/अधिक रिफंड

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत यदि एक डीलर कर योग्य/कर मुक्त माल के विनिर्माण में माल (वैट भुगतान किया हुआ) का प्रयोग करता है या विनिर्मित माल का विक्रय से अनुमत्य अन्य तरीके से अंशत: निपटान करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आनुपातिक आधार पर अनुमत्य है।

(i) लेखापरीक्षा ने देखा कि 2008-09 से 2011-12 के दौरान 10 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[17] के अंतर्गत 28 डीलरों ने ₹ 1,864.41 करोड़ वैट के भुगतान के पश्चात् माल खरीदा तथा कर योग्य तथा कर मुक्त माल का विनिर्माण किया अथवा विर्निमित माल का

13 अंबाला, गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, झज्जर तथा सोनीपत।

14 अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जींद, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

15 अंबाला, झज्जर जगाधरी, फरीदाबाद (पूर्व), कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा।

16 गुड़गांव (पूर्व)।

17 अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), फतेहाबाद, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जींद, कैथल, करनाल, सिरसा तथा सोनीपत।

विक्रय से अन्य तरीके से निपटान किया। तदनुसार, ₹ 15.49 करोड़ का आई.टी.सी. का अनुपातिक ढंग से रिवर्स किया जाना था जिसके विरूद्ध ए.एज ने नवंबर 2011 तथा जुलाई 2014 के मध्य केवल ₹ 9.88 करोड़ का आई.टी.सी. रिवर्स किया। इसके परिणामस्वरूप आई.टी.सी. का कम रिवर्सल तथा ₹ 5.61 करोड़ का अमान्य रिफंड हुआ।

(ii) राज्य के भीतर विक्रेता डीलरों द्वारा राज्य को भुगतान किए वैट के भुगतान के बाद वैट डीलरों से किए गए क्रयों पर आई.टी.सी. स्वीकार्य है। डीलरों द्वारा फाईल की गई लेखापुस्तकों/रिटर्नों तथा समाधान विवरणी के अनुसार क्रय स्वीकार किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[18] के अंतर्गत पांच डीलरों ने डीलरों द्वारा फाईल की गई वार्षिक रिटर्न (आर–2) के अनुसार ₹ 1.40 करोड़ की आई.टी.सी. का दावा किया, किंतु अक्तूबर 2010 तथा मार्च 2014 के मध्य कर–निर्धारण फाईनल करते समय ए.एज ने ₹ 1.40 करोड़ के स्वीकार्य आई.टी.सी. के विरूद्ध क्रयों के प्रमाण–पत्र (वैट/सी–4) के आधार पर ₹ 2.36 करोड़ का आई.टी.सी. अनुमत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 96 लाख के आई.टी.सी का अधिक लाभ अनुमत किया।

(iii) 21 मार्च 2013 को ई.टी.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार पैट्रोल/डीजल की वाष्पीकरण हानि पर आई.टी.सी. रिवर्स की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[19] के अंतर्गत 98 डीलरों ने 2009–10 से 2011–12 के दौरान पैट्रोल एवं डीजल क्रय किए तथा डीलरों द्वारा ₹ 3.63 करोड़ मूल्य का 3.16 लाख लीटर पैट्रोल तथा 6.23 लाख लीटर डीजल का वाष्पीकरण के रूप में हानि का दावा किया गया था। मार्च 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य कर–निर्धारण फाईनल करते समय, ए.एज ने ₹ 0.50 करोड़ की आई.टी.सी. रिवर्स नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.63 करोड़ की वष्पीकरण हानि पर ₹ 0.50 करोड़ के आई.टी.सी. का अधिक लाभ अनुमत किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम/मार्गनिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.6 वैट डी–1/वैट डी–2 फार्म के दुरूपयोग के कारण अवनिर्धारण/अनियमित रिफंड

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 21 के अंतर्गत एक वैट डीलर भारत से बाहर निर्यात के लिए फार्म वैट डी–2 (कर का भुगतान किए बिना) के विरूद्ध माल खरीद सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत यदि कोई डीलर किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए क्रय किए गए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है तो अतिरिक्त कर तथा कर की अधिकतम डेढ़ गुणा पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

(क) लेखापरीक्षा ने देखा कि छः डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[20] के अंतर्गत 11 डीलरों ने 2008–09 से 2012–13 के दौरान निर्यात के प्रयोजन हेतु वैट डी–2 फार्म के विरूद्ध ₹ 196.15 करोड़ मूल्य के धान एवं बर्तन क्रय किए परंतु वे ऐसा करने में विफल रहे तथा ₹ 79.28 करोड़ मूल्य के कथित चावल/बर्तन वैट–डी. 2 के विरूद्ध आगे निर्यात के लिए

18 अंबाला, गुड़गांव (पश्चिम), झज्जर तथा जींद।

19 फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरूक्षेत्र, नारनौल तथा सिरसा।

20 अंबाला, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

स्थानीय डीलरों को बेच दिए तथा धारा 7(5) के अंतर्गत दंड कार्रवाई के लिए दायी बन गए। तथापि, मार्च 2012 तथा अगस्त 2014 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम करते समय ए.एज ने वैट डी-2 के विरूद्ध निर्यात की कटौती अनुमत कर दी तथा धारा 7(5) के अंतर्गत उद्ग्राह्य ₹ 3.58 करोड़ के अतिरिक्त कर एवं ₹ 5.37 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.08 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।

(ख) लेखापरीक्षा ने देखा कि कैथल तथा करनाल के 8 डीलरों ने 2009-10 से 2012-13 के मध्य भारत के बाहर चावल के निर्यात के लिए फार्म वैट डी-2 के विरूद्ध ₹ 254.97 करोड़ मूल्य का धान खरीदा परंतु वर्ष की समाप्ति पर ₹ 161.75 करोड़ मूल्य का धान स्टॉक में पड़ा था। डीलर ने वैट के भुगतान के बाद खरीदे धान/चावल में से चावल भी निर्यात किया था तथा ₹ 5.75 करोड़ के रिफंड अनुमत किए गए। डीलरों द्वारा, पहले फार्म वैट डी-2 के विरूद्ध खरीदे गए धान/चावल में से तथा फिर वैट भुगतान किए गए धान/चावल में से चावल निर्यात किए जाने अपेक्षित थे। अनुपालना न करने के कारण डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई के लिए दायी था। कर-निर्धारण अंतिम करते समय (जून 2012 तथा जुलाई 2014 के मध्य) ए.एज, उद्ग्रहणीय ₹ 11.31 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 7.54 करोड़ के अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण में विफल रहे क्योंकि विदेशी खरीदारों से क्रय आदेशों की प्रतियां रिकार्ड पर नहीं पाई गई थी तथा आगे ₹ 5.75 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत कर दिया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.7 फार्म वैट डी–2 के विरूद्ध खरीदे गए धान/चावल के स्टॉक का अप्रतिफल करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) (कैथल, करनाल तथा कुरूक्षेत्र) के अंतर्गत नौ डीलरों ने वैट डी-2 फार्म के विरूद्ध तथा वैट के भुगतान के बाद भी 2010-11 से 2012-13 के दौरान धान/चावल खरीदे। डीलरों ने वैट डी-2 खरीदों तथा वैट भुगतान की गई खरीदों में से चावल का निर्यात किया। डीलरों ने दावा किया तथा उन्हें वैट भुगतान की गई खरीदों में से चावल के निर्यात के विरूद्ध ₹ 4.31 करोड़ के रिफंड की अनुमति दे दी गई। डीलरों के पास ₹ 8.14 करोड़ (अनुमानित) के कर से आवेष्टित ₹ 169.10 करोड़ मूल्य के वैट डी-2 फार्मों के विरूद्ध की गई खरीदों का क्लोजिंग स्टॉक तथा ₹ 3.12 करोड़ के कर से आवेष्टित ₹ 69.87 करोड़ मूल्य का वैट भुगतान किया हुआ स्टॉक था। डीलरों द्वारा पहले वैट डी-2 स्टॉक में से चावल का निर्यात करना अपेक्षित था। तदनुसार, रिफंड की अनुमति देते समय, वैट डी-2 स्टॉक में आवेष्टित कर (अनुमानित) रोका जाना था क्योंकि विदेशी खरीदारों से क्रय आदेशों की प्रतियां रिकार्ड पर नहीं पाई गई थी। जून 2012 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने वैट डी-2 स्टॉक के धान में आवेष्टित अनुमानित कर को नहीं रोका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ का अधिक रिफंड हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा मामलों की पुन: जांच करवाने का आश्वासन दिया।

2.2.11.8 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 – ए के अंतर्गत पेनल्टी का उद्ग्रहण न करना

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत एक पंजीकृत डीलर पुन: बिक्री, बिक्री इत्यादि हेतु माल के विनिर्माण/संसाधन/पैकेजिंग में उपयोग के लिए घोषणा फार्म सी. के विरूद्ध माल खरीद सकता है किंतु अपने उपयोग हेतु अर्थात् उपर्युक्त धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से अन्य किसी प्रयोजन के लिए माल नहीं खरीद सकता है। आगे, धारा 10 – ए विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खरीदे गए माल का उपयोग न करने के लिए कर की अधिकतम डेढ़ गुणा पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है।

डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) {गुड़गांव (पश्चिम), हिसार तथा झज्जर} के अंतर्गत लेखापरीक्षा ने डीलरों के मामले देखे जिन्होंने फार्म 'सी' के विरूद्ध कर की रियायती दर पर 2009 – 10 से 2011 – 12 वर्षों के दौरान ₹ 0.28 करोड़ के कर से आवेष्टित ₹ 2.19 करोड़ मूल्य का माल खरीदा। दो डीलरों (होटल मालिक तथा विनिर्माता) ने भवन सामग्री खरीदी तथा एक डीलर (ठेकेदार) ने ट्रक खरीदा। ये डीलर फार्म 'सी' के विरूद्ध ये माल खरीदने के लिए अधिकृत नहीं थे क्योंकि कथित माल उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया था जिनके लिए डीलर पंजीकृत थे। नवंबर 2012 तथा मार्च 2014 के मध्य कर – निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज फार्म 'सी' के दुरूपयोग के लिए ₹ 42 लाख की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा मामलों की पुन: जांच करवाने का आश्वासन दिया।

2.2.11.9 अमान्य दस्तावेजों के विरूद्ध कटौती की अनुमति देने के कारण अधिक रिफंड

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3) प्रावधान करती है कि किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के समय होने वाली बिक्री अथवा खरीद से पूर्ववर्ती उस माल की अंतिम बिक्री अथवा खरीद ऐसे निर्यात के समय भी मानी जाएगी यदि ऐसी अंतिम बिक्री अथवा खरीद बाद में होती है तथा ऐसे निर्यात के संबंध में अथवा के क्रम में अथवा करार के अनुपालन के प्रयोजन हेतु थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2009 – 10 से 2012 – 13 के दौरान तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) (कैथल, करनाल तथा कुरूक्षेत्र) के अंतर्गत 18 डीलरों ने निर्यात के आदेशों की अनुपालना के लिए चावल के निर्यातकों को ₹ 112.10 करोड़ मूल्य के चावल बेचे। जून 2012 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर – निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने फार्म वैट डी – 2 के विरूद्ध सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत ₹ 28.34 करोड़ की कटौती की अनुमति दे दी। फार्म वैट डी – 2 के साथ डीलरों द्वारा प्रस्तुत निर्यात के दस्तावेज अमान्य थे क्योंकि या तो चावल के निर्यात के फसल वर्ष चावल के विक्रय के फसल वर्ष से मेल नहीं खाते थे या निर्यात पहले ही हो चुका था या निर्यात 5 से 7 महीनों तक विलंबित था। अत: अमान्य दस्तावेजों के विरूद्ध कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अधिक रिफंड हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा मामलों की पुन: जांच करवाने का आश्वासन दिया।

2.2.11.10 ठेकेदारों/व्यापारियों को अनियमित रिफंड

धारा 2 (जेड.ई.) के अनुसार निर्माण संविदा के निष्पादन में अंतरित सामग्री पर कर उद्ग्रहणीय है। सरकार ने 17 मई 2010 को श्रम तथा सेवाओं का मूल्य 25 प्रतिशत नियत किया। नियम 33 के साथ पठित धारा 24 में टी.डी.एस.(डब्ल्यू.सी.टी.) की कटौती तथा अभिलेखों से भुगतान के उचित सत्यापन के बाद लाभ की अनुमति का प्रावधान है।

11 डी.ई.टी.सी. के संबंध में निर्माण ठेकेदारों तथा व्यापारियों के कर-निर्धारण के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि कोई प्रमाण प्राप्त किए बिना, अर्थात् कर-निर्धारण में श्रम एवं सेवा की अधिक कटौती, सत्यापन के बिना टी.डी.एस. का लाभ, सी फार्म पर स्वयं को बिक्री के विरूद्ध रिफंड की अनुमति इत्यादि, फार्मूला लगाकर कर गलत ढंग से परिकलित किया गया था तथा ठेकेदारों/डीलरों को ₹ 54.45 करोड़ का अनियमित रिफंड जारी किया गया जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

निर्माण ठेकेदारों तथा व्यापारियों को रिफंड जारी करने में अनियमितताएं (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	ठेकेदारों/ डीलरों की संख्या	कर-निर्धारणों के वर्ष	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुमत अनियमित रिफंड की राशि
1	10[21]	41	2006-07 से 2012-13	ए.एज ने वैट डी-1 के दुरूपयोग के लिए निर्माण ठेकेदारों के विरूद्ध ₹ 7.83 करोड़ (कर: ₹ 3.13 करोड़ + पेनल्टी: ₹ 4.70 करोड़) के अतिरिक्त कर एवं पेनल्टी का अनुद्ग्रहण नहीं किया तथा ₹ 5.83 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत किया।	5.83
2	6[22]	22	2006-07 से 2012-13	ए.एज ने सकल प्राप्तियों में कर के आमेलन का कोई प्रमाण प्राप्त किए बिना फार्मूला द्वारा निर्माण ठेकेदारों पर ₹ 20.67 करोड़ के उद्ग्राह्य कर के विरूद्ध ₹ 19.71 करोड़ मूल्य का कर उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.96 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति हुई।	0.96
3	5[23]	23	2008-09 से 2011-12	निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण तैयार करते समय ए.एज ने किसी औचित्य का वर्णन किए बिना ₹ 212.24 करोड़ की अनुमत्य छूट के विरूद्ध ₹ 414.13 करोड़ के श्रम एवं सेवाओं की छूट अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 201.89 करोड़ की अधिक छूट तथा ₹ 17.72 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति हुई।	17.72
4	1[24]	1	2010-11 तथा 2011-12	ए.एज ने ₹ 1.61 करोड़ की अनुमत्य छूट के विरूद्ध ₹ 3.06 करोड़ के ईंधन की छूट अनुमत की परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ की अधिक छूट तथा ₹ 0.13 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति हुई।	0.13
5	10[25]	34	2004-05 से 2012-13	ए.एज ने दैनिक संग्रहण रजिस्टर से सत्यापन किए बिना ₹ 19.80 करोड़ के टी.डी.एस. (डब्ल्यू.सी.टी.) का लाभ अनुमत किया परिणामस्वरूप ₹ 16.32 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।	16.32

21 अंबाला, फतेहाबाद, गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकुला तथा सोनीपत।

22 फतेहाबाद, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल, करनाल तथा सिरसा।

23 अंबाला, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल तथा कुरूक्षेत्र।

24 डी.ई.टी.सी. कैथल।

25 अंबाला, फतेहाबाद, गुड़गांव (पश्चिम), जींद, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

निर्माण ठेकेदारों तथा व्यापारियों को रिफंड जारी करने में अनियमितताएं					(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	ठेकेदारों/ डीलरों की संख्या	कर–निर्धारणों के वर्ष	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुमत अनियमित रिफंड की राशि
6	3[26]	8	2009–10	ए.एज ने व्यापारियों को रिफंड अनुमत किया जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 20 (2) के अंतर्गत आवृत्त नहीं था परिणामस्वरूप ₹ 0.42 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।	0.42
7	1[27]	1	2010–11	ए.एज ने उन डीलरों को रिफंड अनुमत किया जिन्होंने फार्म वैट डी–1/सी के विरूद्ध स्वयं/ब्रांच को बिक्री दर्शाई परिणामस्वरूप ₹ 3.54 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।	3.54
8	9[28]	79	2004–05[29] से 2013–14	ए.एज सरेंडर की गई आय, विविध आय, डी.ई.पी.बी. पर कर उद्ग्रहण करने में विफल रहे, ईंधन तथा अन्य अवैध क्रयों पर गलत आई.टी.सी. की अनुमति दी, वैट आर.–2 इत्यादि रिटर्न में दावा किए किए गए से अधिक आई.टी.सी. की अनुमति दी तथा ₹ 9.53 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति दी।	9.53
	योग				54.45

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की (क्र.सं. 1, 2 तथा 4 से 8) तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्र.सं. 3 के बारे में, विभाग ने बताया कि श्रम की 25 प्रतिशत से अधिक कटौती की ठेकेदार द्वारा रखे गए सही लेखाओं के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। तथापि, विभाग ने फील्ड कार्यालयों को निदेश जारी करने का आश्वासन दिया कि जहां भी 25 प्रतिशत से अधिक की कटौती की अनुमति दी जानी है उसके लिए स्पष्ट कर–निर्धारण आदेश पारित किए जाएं।

2.2.11.11 डी.एम.आर.सी. के ठेकेदारों को अनियमित रिफंड

अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 3–ए के अनुसार 30 नवंबर 2006 से गुड़गांव मैट्रो कोरीडोर में प्रयोग के लिए दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) को बेचे गए माल पर कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं था। आगे, अनुसूची 'जी' की प्रविष्टि 3, 6 अप्रैल 2010 को शामिल की गई थी (30 नवंबर 2006) तथा अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 3–ए, डी.एम.आर.सी. को बेचे गए माल की खरीद पर प्रदत्त कर का रिफंड मांगने के लिए डीलरों को सक्षम बनाने के लिए साथ–साथ हटा दी गई थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व) में लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन ठेकेदारों ने 2009–10 से 2011–12 के दौरान गुड़गांव मैट्रो कोरीडोर के निर्माण ठेका कार्यों का निष्पादन किया तथा ₹ 2.22 करोड़ के रिफंड का दावा किया। जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य कर–निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने इन ठेकेदारों को कर के रिफंड की अनुमति दे दी यद्यपि ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दरों में कर शामिल थे। ठेकेदार को कर का रिफंड नियमानुसार नहीं था क्योंकि डी.एम.आर.सी. ने रनिंग बिलों के माध्यम से पहले ही ठेकेदारों को कर का भुगतान कर दिया

26 फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पूर्व) तथा गुड़गांव (पश्चिम)।

27 गुड़गांव (पूर्व)।

28 अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

29 गुड़गांव पूर्व के डीलर का कर–निर्धारण 13 फरवरी 2008 को अंतिमकृत किया गया था किंतु रिफंड देरी हेतु कोई कारण दर्ज किए बिना 24 जून 2013 को जारी किया गया था।

था। कर रियायत का लाभ, यदि कोई हो, डी.एम.आर.सी. को दिया जाना चाहिए। अत: ठेकेदारों को कोई रिफंड अनुमत्य नहीं था। इसके परिणामस्परूप ₹ 2.22 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि सूची 'जी' में प्रविष्टि ठेकेदारों को रिफंड की अनुमति देने के लिए शामिल की गई थी। तथापि, मामलों को आगे जांच के लिए पुनरीक्षण में लिया गया।

2.2.12 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियां चलाता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली तथा कोड्स एवं मैनुअलों की सख्त अनुपालना लागू नियमों के अनुपालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता प्राप्त करने, इसके परिचालनों में प्रभाविकता एवं दक्षता के बारे में विभाग को उचित आश्वासन प्रदान करती है।

2.2.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

प्रबंधन के हाथ में आंतरिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए एक यंत्र है कि निर्धारित प्रणालियां सही रूप से कार्य कर रही हैं।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा कर-निर्धारण मामलों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने कुछ समय में निर्धारण मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रारंभ करने बारे बताया।

2.2.12.2 मानीटरिंग

अधिनियमों के प्रबंध एवं कार्यान्वयन के लिए, विभाग में प्रभावी मानीटरिंग यंत्रावली अपेक्षित है। प्रभावशाली मानीटरिंग आवधिक रिपोर्टों, अनुवर्ती कार्रवाई तथा कर-निर्धारण अभिलेखों के सही रूप में रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड कार्यालयों के निरीक्षण द्वारा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चैकलिस्टों को तैयार करने, घोषणा फार्मों के लेखे प्राप्त करने, कर के भुगतान का प्रमाण, बिक्रियों/क्रयों के क्रास सत्यापन तथा माल के मूवमेंट की चैकिंग के बारे में मार्च 2006, फरवरी 2007 तथा जुलाई 2013 को जारी किए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का ए.एज द्वारा मामलों की संवीक्षा करते समय अनुसरण नहीं किया जा रहा था। आगे, आठ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) में लेखापरीक्षा ने देखा कि कर-निर्धारण मामलों के अभिलेख सही ढंग से नहीं रखे जा रहे थे। निम्नलिखित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं, अर्थात् मांग एवं संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव न करना, कर निर्धारण आदेशों एवं मांग नोटिसों को देर से सर्व करना, मामलों के पुन: कर-निर्धारण में विलंब तथा रिटर्न न भरने के लिए पैनल्टी इत्यादि, अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली के सूचक हैं।

(क) रिटर्नों (वैट जी-8) की मांग तथा संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) का रख-रखाव न करना

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 37 में प्रावधान है कि प्रत्येक जिला के प्रभारी अधिकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों के संबंध में वैट जी-8 फार्म में रिटर्नस का डी.सी.आर.

रखेगा जिसमें फाईल की गई रिटर्नस, किए गए कर-निर्धारण तथा कर के भुगतान/अतिरिक्त की गई मांग इत्यादि को दर्शाया गया हो।

आठ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[30] के कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने देखा कि रिटर्नस (वैट जी-8) का डी.सी.आर. सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि फाईल की गई रिटर्नस, किए गए कर-निर्धारण तथा किए गए भुगतान के विवरण उसमें दर्ज किए नहीं पाए गए।

आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी के कार्यालय के अंतर्गत एक मामले में वर्ष 2010-11 से संबंधित ₹ 6 लाख का कर जमा करवाने का लाभ वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के कर-निर्धारण वर्षों में अनुमत किया गया था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला तथा गुड़गांव (पश्चिम) के दो मामलों में ₹ 2.19 करोड़ के कर जमा करने का लाभ अभिलेखों से सत्यापन के बिना अनुमत किया गया था। आगे, यह देखा गया कि जमा किए गए कर की राशि न तो वैट जी-8 रजिस्टर में तथा न ही कर के मांग तथा संग्रहण रजिस्टर में दर्ज की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर का अनियमित लाभ दिया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा ए.सी.एस. ने विभाग को उक्त अभिलेख सही ढंग में रखने के निदेश दिए।

(ख) कर-निर्धारण आदेशों तथा मांग नोटिसों को देर से दिया जाना

14 मार्च 2006 को जारी निर्देशों के अनुसार, मांग के नोटिस के साथ कर-निर्धारण आदेश की प्रति कर-निर्धारण के अंतिमकरण के पंद्रह दिनों के अंदर डीलरों को दी जानी थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय के अंतर्गत 99 मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.एज, कर-निर्धारण आदेशों तथा प्रत्येक ₹ एक लाख से अधिक की मांग से आवेष्टित मांग नोटिसों की प्रति समय पर देने में विफल रहे जोकि 15 से 455 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलंब से दिए गए थे। डी.ई.टी.सी. स्तर पर मानीटरिंग न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के ब्याज की हानि हुई क्योंकि विभाग की ओर से चूक के कारण डीलरों से यह राशि वसूल नहीं की जा सकी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने चूक को स्वीकार किया तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की कड़ी अनुपालना के लिए निर्देश जारी करने हेतु कहा।

(ग) डी.ई.टी.सीज/जे.ई.टी.सीज द्वारा कर-निर्धारण मामलों की जांच न करना

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण रखने के लिए, विभाग द्वारा प्रति माह/तिमाही को डी.ई.टी.सीज द्वारा ई.टी.सी. को मासिक/तिमाही विवरणियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। ए.एज द्वारा कर-निर्धारित मामलों में से विभाग ने डी.ई.टी.सीज/जे.ई.टी.सीज द्वारा जांच किए जाने वाले संवीक्षा मामलों की संख्या भी निर्धारित की थी।

यह सिद्ध करने के लिए रिकार्ड में कुछ नहीं था कि डी.ई.टी.सी./जे.ई.टी.सीज ने ए.एज द्वारा कर-निर्धारित मामलों की जांच की थी न ही ई.टी.सी. को कोई रिपोर्ट भेजी गई थी। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली कमजोर थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए निदेश जारी करने हेतु कहा।

30 अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

(घ) मामलों के पुनः कर–निर्धारण में विलंब के कारण राजस्व की हानि

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि यदि कर–निर्धारण प्राधिकारी को पता चलता है कि एक डीलर के व्यापार का टर्न–ओवर कम निर्धारित किया गया है अथवा कर–निर्धारण से बच गया है अथवा इनपुट या रिफंड किसी वर्ष में अधिक अनुमत किया गया है तो वह डीलर को सुने जाने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर–निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कर दायिता का पुनः कर–निर्धारण कर सकता है।

2009–10 से 2012–13 वर्षों के लिए चार डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[31] के कार्यालयों को इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आरज) के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि 2006–07 से 2009–10 तक कर–निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹ 12.75 करोड़ के कर को बचाने से आवेष्टित 50 मामलों में ए.एज ने लेखापरीक्षा के समय उत्तर दिया कि अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है, मामलों की दुबारा जांच की जा रही है, मामले स्वतः कार्यवाही करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को भेजे गए थे या भेजे जा रहे हैं परंतु कोई अपेक्षित कार्रवाई अभी तक नहीं की गई तथा मामले कालबाधित हो गए हैं। इस प्रकार, ए.एज द्वारा समयपूर्व कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डी.ई.टी.सी./जे.ई.टी.सी. स्तर पर नियंत्रण विफलता के परिणामस्वरूप कर–निर्धारित न किए गए मामलों के कालबाधित होने से ₹ 12.75 करोड़ की हानि हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत हो गया तथा अब कार्रवाई प्रारंभ करवाने के बारे में बताया क्योंकि पुनरीक्षण के लिए सीमा अवधि छः वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

(ङ.) रिटर्नस फाईल न करने के लिए पेनल्टी उद्ग्रहण न करना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 37 ए में रिटर्नस के देरी से/न फाईल करने के लिए पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान है। डीलरों द्वारा रिटर्नस देर से/न फाईल करने के संबंध में जिले के डी.ई.टी.सी. द्वारा ए.एज से रिपोर्ट प्राप्त करना तथा तदन्तर पेनल्टी उद्ग्रहण करना अपेक्षित था।

आठ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[32] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, यह पाया गया कि 2009–10 से 2013–14 के दौरान, 5,723 डीलरों ने अपनी रिटर्नस समय पर फाईल नहीं की थी तथा ए.एज इन डीलरों के विरूद्ध पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे क्योंकि डी.ई.टी.सी. स्तर पर नियंत्रण की कमी के कारण रिटर्न चूककर्ताओं से पेनल्टी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए निर्देश जारी करने हेतु बताया।

(च) वर्ष के दौरान सृजित मांग की वसूली

कर/पेनल्टी की वसूली डीलरों से कर–निर्धारण के तुरंत बाद की जानी चाहिए तथा उचित स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।

31 अंबाला, जगाधरी, झज्जर तथा जींद।

32 अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

आठ चयनित डी.ई.टी.सीज (एस.टी)[33] के अभिलेखों के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2009 – 10 से 2013 – 14 के दौरान ए.एज ने ₹ 4,464.66 करोड़ की मांग सृजित की, ₹ 1,791 करोड़ की मांग छोड़ दी गई तथा निवल वसूलनीय ₹ 2,673.66 करोड़ वसूलनीय रहे जैसाकि नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	सृजित मांग	विलोपन/ छोड़ी गई	निवल वसूलनीय	वर्ष के दौरान वसूल की गई	वसूल किए जाने वाला शेष	वसूली का प्रतिशतता
1	2009-10	80,098.97	12,899.40	67,199.57	4,763.56	62,436.01	7.09
2	2010-11	46,653.03	16,642.96	30,010.07	4,498.81	25,511.26	14.99
3	2011-12	46,793.84	17,744.05	29,049.79	4,302.78	24,747.01	14.81
4	2012-13	46,140.05	16,012.68	30,127.37	4,085.31	26,042.06	13.56
5	2013-14	2,26,780.56	1,15,801.49	1,10,979.07	5,618.39	1,05,360.68	5.06
	योग	**4,46,466.45**	**1,79,100.58**	**2,67,365.87**	**23,268.85**	**2,44,097.02**	**8.70**

2009 – 10 से 2013 – 2014 वर्षों के दौरान निवल वसूलनीय मांग की औसत वसूली केवल 8.70 प्रतिशत आती है जो संकेत करती है कि समुचित स्तर पर नियंत्रण की कमी के कारण वसूली की धीमी गति हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.2.12.3 अन्य कमियां

प्रभावी जांच के लिए कर – निर्धारण मामले की फाईलों में रिटर्नस, विक्रय/क्रय की सूचियां, विधिवत् भरे गए तथा सभी प्रकार से पूर्ण सांविधिक फार्म होने चाहिए। कर – निर्धारण फाईलों में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी:

- जैसा कि नियम, 25(1) के अंतर्गत अपेक्षित है, कर से छूट प्राप्त विक्रय की कटौती के समर्थन में विक्रय/क्रय इनवायस की प्रतियां न तो प्राप्त की जा रही थी न ही बेची गई/खरीदी गई मदों के नाम कर – निर्धारण आदेशों में उल्लिखित किए गए थे।
- पंजाब वित्तीय नियम खंड – 1 के नियम 9.3 में निहित प्रावधानों के अनुसार, रिफंड की अनुमति मूल मांग या वसूली (जैसा भी मामला हो) में से दी जानी थी। इस प्रकार, रिफंड की अनुमति माल के प्रथम विक्रेता द्वारा कोषालय में भुगतान किए कर में से दी जानी है। यह अवलोकित किया गया कि रिफंड, माल के विक्रेताओं, जिनके विरूद्ध रिफंड उपार्जित थे, से अन्य बृहद् करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए कर में से जारी किए जा रहे थे। रिफंड आवेदन – पत्र उपयुक्त प्रपत्र वैट ए – 4 पर प्राप्त नहीं किए जा रहे थे।
- निर्माण ठेकेदारों के मामले में, संविदा/अनुबंध की प्रति कर – निर्धारण फाईलों में नहीं पाई गई थी।

[33] अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

- 'बिल के अनुसार' विवरण में शामिल विक्रय/क्रय (एल.एस. – 2/एल.पी – 3) की सूची के अनुसार फार्म 'सी' में बेची/खरीदी गई वस्तु का नाम उल्लिखित नहीं किया जा रहा था। बेची/खरीदी गई वस्तु का नाम फार्म 'सी' तथा सूचियों में दर्ज किया जाना चाहिए।

- वैट सी – 4 फार्मों में कोई क्र.सं. या प्रिंटिड क्र.सं. इत्यादि नहीं थे जैसा कि एच.वी.ए.टी. नियम 2003 के नियम – 20 के अंतर्गत अपेक्षित है। आगे, अधिकतर मामलों में बेची/खरीदी गई वस्तुओं के नाम भी वैट सी – 4 में उल्लिखित नहीं थे। दिनांक 17 मई 2010 के संशोधन के बाद कर इत्यादि के भुगतान के ब्यौरे न तो वैट सी – 4 में प्रिंट किए गए न ही जारीकर्त्ता डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

- वर्ष 2010 – 11, 2011 – 12 तथा 2012 – 13 के लिए कर – निर्धारण एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 15(1) के अंतर्गत किए गए थे। कर – निर्धारण के समय वैट लेन – देनों से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए। परंतु रिफंडस जारी करते समय, दस्तावेज अर्थात् वैट सी – 4/वैट डी – 1 इत्यादि भी प्राप्त नहीं किए गए। इन दस्तावेजों के अभाव में रिफंड की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- चावल के निर्यातकों के मामले में वैट डी – 2/एच. फार्म में घोषणा के विरूद्ध धान/चावल के प्रापण की तथ्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्यात आदेश (विदेशी क्रेताओं से) फाईल में उपलब्ध नहीं थे तथा विदेशी क्रेताओं की क्रय आदेश संख्या तथा दिनांक तथा निर्यात के ब्यौरे फार्म वैट डी – 2/एच. फार्म में घोषणाओं में भरे नहीं पाए गए। आगे, लदान के बिलों में (निर्यात का सबूत) भारत के कस्टम्ज फ्रंटियर से प्रस्थान करने वाले माल के समर्थन में कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण – पत्र नहीं थे।

- मिलिंग द्वारा प्राप्त धान की भूसी को व्यापार लेखे में नहीं दिखाया गया। यह बताया गया कि इसे बायॅलर में ईधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। चूंकि धान भूसी का ईधन के रूप में प्रयोग माल के विक्रय से अन्य निपटान था, आई.टी.सी. आनुपातिक रूप में रिवर्स किया जाना था। यह नहीं किया जा रहा था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों को स्वीकार किया तथा आवश्यक निर्देश जारी करने बारे बताया ताकि ऐसी भूलें दोहराई न जाएं।

2.2.14 निष्कर्ष

वैट के आरंभ में बेहतर कर प्रशासन हेतु कर अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण, पंजीकरण विवरणों तथा घोषणा फार्मों को जारी करने पर विचार किया गया किंतु बारह वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी विभाग में कंप्यूटरीकरण का निम्नतम स्तर पर भी विद्यमान नहीं है। राष्ट्रीय नेटवर्क टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. से कनैक्टिविटी के माध्यम से विक्रयों/क्रयों, घोषणा फार्मों को जारी करने तथा पंजीकरण प्रमाण – पत्रों को रद्द करने इत्यादि से संबंधित सूचना को अपलोड नहीं किया गया था तथा अन्य जिलों/राज्यों को पत्र जारी करके मैनुअल रूप से सत्यापन किया जा रहा था। आर.सी. के रद्द करने के अतिरिक्त कर – निर्धारणों के अंतिमकरण हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, अन्य विभागों से उपलब्ध सूचना के क्रास सत्यापन द्वारा अपंजीकृत डीलरों, ठेकेदारों का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा कोई

प्रयास नहीं किए गए थे। मामलों को वार्षिक रूप से 50,000 से 5,000 तक घटाने के बाद भी कर–निर्धारण में कोई सुधार नहीं देखा गया था। कर के अवनिर्धारण तथा कर की गलत दर लागू करने के कारण अनियमित रिफंड, जाली फार्मों पर कर रियायत का लाभ, पेनल्टी, ब्याज तथा सरचार्ज का अनुद्ग्रहण, कर रियायत का अधिक लाभ, आई.टी.सी. का कम–न रिवर्सल, अनियमित कटौतियों के उदाहरण देखे गए जिनके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। रिटर्नों के मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों को उचित रूप से रखने के अभाव में जमा किए गए कर के विवरणों का पता नहीं लगाया जा सका। कर–निर्धारण के पश्चात् कर–निर्धारण आदेश तथा मांग नोटिस देरी से जारी किए गए थे परिणामत: ब्याज की हानि हुई। अधिनियमों/नियमों के विभिन्न प्रावधानों की अननुपालना के परिणामस्वरूप अपर्याप्त कर प्रबंध एवं प्रशासन हुआ।

2.2.15 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

(i) घोषणा फार्मों के विरूद्ध विक्रयों/क्रयों के सत्यापन के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) पर घोषणा फार्मों के प्रयोग के ब्यौरे अपलोड करने के लिए प्रणाली खोजना;

(ii) विक्रय/क्रय के लेन–देनों, फार्मों इत्यादि के क्रास सत्यापन के लिए शत–प्रतिशत कंप्यूटरीकरण का कार्यान्वयन करना;

(iii) पंजीकरण प्रमाण–पत्रों के रद्द करने की तिथि के बाद कर–निर्धारण मामलों को शीघ्रतम अंतिम करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करना;

(iv) अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों/डीलरों का पता लगाने के लिए डाटाबेस/सूचना के क्रास विनिमय की प्रणाली खोजने तथा सूचना के विनिमय के परिणाम की मानीटरिंग करना;

(v) केवल माल के पहले विक्रेता के द्वारा राजकोष में भुगतान किए कर में से पी.एफ.आर. खंड–1 के नियम 9.3 के अनुसार रिफंड जारी करना; तथा

(vi) एच.वी.ए.टी. अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली स्थापित करना तथा कर–निर्धारण मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करना।

2.3 अविक्रीत माल पर आई.टी.सी. का गलत लाभ

₹ 95.81 करोड़ मूल्य के शुल्क तथा हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाईसेंस की खरीद, जो पुनः बिक्री के लिए उपयोग किए जाने हैं, देय सीमा शुल्क के विरूद्ध गलत ढंग से समायोजित की जानी अनुमत की गई थी, परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 4.84 करोड़ के गलत आई.टी.सी. की स्वीकृति दी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा-8 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे माल के विक्रय या उससे राज्य के भीतर विर्निमित माल या अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य पर कर देयता के विरूद्ध माल के क्रय पर आई.टी.सी. अनुमत्य है। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी स्पष्ट किया (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि डयूटी क्रेडिटस स्क्रिप्स (स्क्रिप्स) ऐसे दुबारा विक्रय के लिए खरीदी जाती हैं तथा यदि ये सीमा शुल्क के समायोजन के लिए प्रयोग की गई थी तो कोई आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) के अंतर्गत एक डीलर ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 4.84 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 95.81 करोड़ मूल्य के शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाईसैंस खरीदे। डीलर ने इसका प्रयोग अपने द्वारा देय सीमा शुल्क के समायोजन के लिए किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (स्क्रिप्स) नहीं बेचे गए, इसलिए कोई आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं था। तथापि, मार्च 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य इन मामलों में कर-निर्धारणों को अंतिम करते समय ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए परिणामस्वरूप ₹ 4.84 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2014), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) ने सितंबर 2015 में बताया कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजे गए थे।

मामला सरकार को मई 2015 को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.4 ब्याज का अनुद्ग्रहण

एक मामले में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला द्वारा 12 महीने व्यतीत होने के बाद भी ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी, परिणामतः ₹ 3.49 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त, एक प्रतिशत प्रतिमाह पर यदि भुगतान 90 दिन के भीतर किया जाता है तथा दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि चूक नब्बे दिन से आगे भी चलती है पूरी अवधि के लिए, कर भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, साधारण ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा। ई.टी.सी., हरियाणा ने भी अनुदेश जारी किए (सितंबर 1993) कि प्रत्येक ए.ए. का यह कर्त्तव्य है कि वह कर-निर्धारण के साथ दंड कार्यवाही को भी अंतिम करें तथा यदि, किसी कारण से दंड कार्रवाई लंबित रखी जाती है तो कर-निर्धारण के अंतिम किए जाने के शीघ्र बाद वह प्रारंभ की जानी चाहिए तथा कर-निर्धारण के छः महीनों के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए।

नवंबर 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला के कार्यालय के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.ए. ने एक डीलर के वर्ष 2010-11 के लिए कर-निर्धारण नवंबर 2013 में अंतिम किया तथा ₹ 4.59 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की। ब्याज उद्ग्रहण/दंड कार्रवाई के लिए कार्रवाई अलग से की जानी थी जैसा कि कर-निर्धारण आदेश में बताया गया था। तथापि, 12 महीने बीतने के बाद भी ब्याज उद्ग्रहण के लिए इस प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप में ₹ 3.49 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2014), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकुला ने मार्च 2015 में बताया कि ₹ 3.43 करोड़ का ब्याज अब एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत उद्गृहीत किया गया है। आगे, वसूली पर प्रगति अभी प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.5 अतिरिक्त कर (सरचार्ज) का अनुद्ग्रहण

ए.एज ने वैट के अंतर्गत ₹ 33.93 करोड़ के कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया, परिणामस्वरूप 42 मामलों में ₹ 1.69 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अनुसार, 2 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में एक अतिरिक्त कर उद्ग्रहणीय था। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट किया है (10 फरवरी, 2014) कि निर्माण ठेकेदार जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया है, भी एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(ए) के अंतर्गत सरचार्ज की देयता के निर्वहन के लिए दायी हैं।

जुलाई तथा दिसंबर 2014 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के पांच कार्यालयों[34] के कर-निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.एज ने 42 मामलों में कर-निर्धारण अंतिम करते समय (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान ₹ 807.05 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर पर चार प्रतिशत की दर पर ₹ 33.93 करोड़ का कर परिकलित किया किंतु ₹ 33.93 करोड़ की कर राशि के पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर उद्गृहीत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (जुलाई तथा दिसंबर 2014 के मध्य), ए.ए. गुड़गांव (पश्चिम) ने बताया (जनवरी 2015) कि तीन मामलों में ₹ 12.43 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। ए.एज फरीदाबाद (पूर्व), पानीपत तथा करनाल ने बताया कि मामले स्वत: कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए हैं। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) बहादुरगढ़ ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (नवंबर 2015)।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

[34] बहादुरगढ़, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), करनाल तथा पानीपत।

2.6 गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

स्टीम/कढ़ाई वाले वस्त्रों एवं स्पेयर पार्टस के गलत वर्गीकरण तथा 12.5 प्रतिशत की कर योग्य दर के विरूद्ध कम दर पर कर उद्ग्रहण करने के परिणामस्वरूप सात मामलों में ₹ 1.98 करोड़ के कर तथा सरचार्ज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1)(ए)(iv) के अंतर्गत माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए अधिनियम की 'ए' से 'जी' सूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहणीय है तथा उपर्युक्त सूचियों में अवर्गीकृत वस्तुएं कर की सामान्य दर अर्थात् 1 जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत पर कर योग्य है। आगे, 02 अप्रैल 2010 से कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य था।

2.6.1 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के कार्यालय के कर-निर्धारण अभिलेखों से सितंबर 2014 में लेखापरीक्षा ने देखा कि एक डीलर ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 5.05 करोड़ मूल्य की स्टीम का विक्रय किया तथा कर मुक्त विक्रय के रूप में दावा किया तथा ए.ए. ने भी मार्च 2014 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय, इसे एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत कर मुक्त माल मानते हुए अनुमति दे दी। तथापि, स्टीम किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है, अत: 12.5 प्रतिशत कर के साथ सरचार्ज कर योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.23 लाख के कर एवं सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 52.99 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2014), डी.ई.टी.सी.(एस.टी.) पानीपत ने बताया (सितंबर 2015) कि ₹ 1.21 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

2.6.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत के कार्यालयों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (मई से जुलाई 2014) कि 2011-12 के दौरान चार डीलरों ने ₹ 8.62 करोड़ के कढ़ाई वाले वस्त्र बेचे तथा कर मुक्त माल का दावा किया। ए.एज ने नवंबर 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय, इसे एच.वी.ए.टी. अधिनियम की सूची 'बी' के अंतर्गत कर मुक्त माल मानते हुए कटौतियों की अनुमति दे दी। तथापि, कढ़ाई वाले वस्त्र किसी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण 12.5 प्रतिशत कर के साथ सरचार्ज कर योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.81 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.13 करोड़ राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (मई तथा जुलाई 2014 के मध्य), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत ने बताया (सितंबर 2015) कि मामले स्वत: कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे।

2.6.3 लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त तथा सितंबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल के अंतर्गत दो डीलरों ने वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान ₹ 2.45 करोड़ मूल्य के मशीनरी पार्टस बेचे तथा पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 12.86 लाख के कर के साथ सरचार्ज का भुगतान किया। ए.ए. ने भी अक्तूबर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान कर-निर्धारण अंतिम करते समय, अवर्गीकृत मद के संबंध में लागू के रूप में 12.5 प्रतिशत के कर के साथ सरचार्ज की सही दर की बजाय पांच प्रतिशत की दर पर कर के साथ सरचार्ज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.90 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 19.30 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ए.ए. करनाल ने अगस्त तथा सितंबर 2014 के मध्य उत्तर दिया कि मामले स्वत: कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.7 जमा कर से अधिक की अनुमति

₹ 9.82 करोड़ की बजाय ₹ 10.44 करोड़ के कर जमा के समायोजन की अनुमति दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 61.75 लाख जमा कर से अधिक लाभ की अनुमति दी गई, इसके अतिरिक्त ₹ 29.64 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(3) के अंतर्गत, प्रत्येक डीलर जिसकी इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान की कुल देयता उसके द्वारा फाईल की गई रिटर्नस के अनुसार गत वर्ष या उसके कुछ हिस्से के लिए एक लाख ₹ के बराबर या उससे अधिक या ऐसी अन्य कोई राशि, जो भी निर्धारित की जाए, निर्धारित ढंग में, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा परिगणित, प्रत्येक मास की 15 तारीख को या उससे पहले उसके द्वारा गत मास के लिए देय कर की पूरी राशि का भुगतान करेगा। ई.टी.सी., हरियाणा ने भी अनुदेश जारी किए (मार्च 2006) कि जमा किए गए कर का लाभ सरकारी कोषालय में कर भुगतान के सत्यापन के बाद दिया जाना चाहिए। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2015) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) के अंतर्गत एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान कर जमा के लाभ के रूप में ₹ 10.44 करोड़ का दावा किया। तथापि, डी.सी.आर. से जमाओं के सत्यापन ने दर्शाया कि 29 नवंबर 2011 को दावा की गई ₹ 61.75 लाख की राशि जमा की गई नहीं पाई गई थी। यह राशि खजाने में जमा नहीं पाई गई थी। तथापि, ए.ए. ने नवंबर 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 9.82 करोड़ की बजाय ₹ 10.44 करोड़ (₹ 61.75 लाख सहित) के कर जमा के समायोजन की अनुमति दे दी। ई.टी.सी. के अनुदेश (मार्च 2006) के बावजूद, कि जमा किए गए कर का लाभ सरकारी खजाने में कर के भुगतान के सत्यापन के बाद ही दिया जाना चाहिए, ए.ए. ने कर के समायोजन की अनुमति दी जोकि डीलर द्वारा खजाने में जमा नहीं करवाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.75 लाख के कर के अधिक लाभ की अनुमति दी गई, इसके अतिरिक्त ₹ 29.64 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2015), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पश्चिम) ने सितंबर 2015 में बताया कि ₹ 61.75 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। ए.ए. ने आगे मई 2015 में सूचित किया कि डीलर के विरूद्ध देय राशि के लिए 'वसूली कार्यवाही' प्रारंभ कर दी गई हैं।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.8 रसायनों के विक्रय पर कर का अनुद्ग्रहण

रसायनों (औद्योगिक इनपुटज) के संबंध में 4.2 प्रतिशत की दर पर कर योग्य के बजाय इसे करमुक्त बिक्री मानते हुए कटौती की अनुमति दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 26.28 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 50.53 लाख के सी.एस.टी. का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक इनपुट के रूप में बेचे गए रसायन सूची 'सी' की प्रविष्टि 102 के अधीन होने के कारण, चार प्रतिशत की दर पर कर तथा उद्ग्राह्य कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज अप्रैल 2010 से प्रभावी एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(ए) के अधीन उद्ग्रहणीय हैं। केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) दर वही दर है जैसे राज्य में 'सी' फार्म के बिना विक्रेता डीलरों पर वैट की दर लागू है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी) पानीपत के अंतर्गत आने वाले एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न प्रकार के अल्कोहल/शराब बनाने वाली पंजाब की औद्योगिक इकाइयों को ₹ 12.03 करोड़ मूल्य के रसायन बेचे तथा माल के कर मुक्त विक्रय का दावा किया। ए.ए. ने नवंबर 2013 में वैट के अधीन मामले का कर-निर्धारण किया तथा इसे माल का करमुक्त विक्रय मानते हुए गलत कटौती अनुमत कर दी। चूंकि, रसायन औद्योगिक इनपुट हैं तथा 4.2 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.28 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 50.53 लाख के सी.एस.टी. का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत ने सितंबर 2015 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वत: कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.9 पाईपों के विक्रय पर कर का कम उद्ग्रहण

छः मामलों में कर की सही दर पांच प्रतिशत की बजाय चार प्रतिशत की दर पर कर उद्गृहीत किया गया था परिणामतः ₹ 30.74 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 41.15 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा-7(1)(ए)(iv) के अंतर्गत 1.7.2005 से प्रभावी माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए अधिनियम की 'ए' से 'जी' सूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहणीय है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की सूची 'सी' की प्रविष्टि संख्या 60 के अंतर्गत कलईदार लोहे की पाईपों, ढ़ली हुई लोहे की पाइपों, डक्टाईल पाईपों, पोलिविनाईल कलोराईड पाईपों तथा कंडयूट पाईपों सहित सभी प्रकार की पाईपें दिनांक 15.2.2010 से प्रभावी पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं तथा एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(ए) के अधीन पांच प्रतिशत की दर पर 2 फरवरी 2010 से प्रभावी सरचार्ज उद्ग्रहणीय है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अधीन ब्याज भी उद्ग्रहणीय है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत तथा रोहतक के कर-निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2014 से जनवरी 2015) कि छः डीलरों ने ₹ 49.20 करोड़ मूल्य की माईल्ड स्टील (एम.एस.) पाईपें, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) पाईपें, ब्लैक पाइपें तथा स्टील पाईपें बेची

(2010-11 तथा 2011-12) तथा चार/पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 2.17 करोड़ के कर का भुगतान किया। ए.एज ने भी कर-निर्धारण अंतिम करते समय (नवंबर 2013 से मार्च 2014) 'सूची-'सी' वस्तुओं के संबंध में लागू पांच प्रतिशत कर के साथ सरचार्ज की सही दर की बजाय चार प्रतिशत की दर पर कर का उद्ग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.74 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 41.15 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ए.ए. सोनीपत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास स्वत: कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। रोहतक के ए.एज ने बताया कि दो मामले स्वत: कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजे गए थे तथा एक मामले में बताया कि डीलरों ने पाईपों की बजाय एम.एस. ट्यूबज का विक्रय किया तथा कर सही लगाया गया है। ए.ए. रोहतक का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने स्टील पाईपें बेची थी। ए.ए. रोहतक के एक मामले के संबंध में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.10 फार्म वैट डी–1 के दुरूपयोग के लिए अतिरिक्त कर/पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

अ–एकमुश्त निर्माण ठेकेदार ने फार्म वैट डी–1 पर दिए प्रमाणपत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया परिणामत: ₹ 65 लाख के अतिरिक्त कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत, जहां कर योग्य माल एक डीलर से दूसरे डीलर को बेचा जाता है, कर निम्नतर दर (चार प्रतिशत) पर उद्ग्रहणीय है यदि क्रेता डीलर वैट-डी-1 में यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि माल विक्रय के लिए माल के विर्निमाण में प्रयोग हेतु है, ई.टी.सी. ने स्पष्ट किया (मार्च 2013) कि जो एकमुश्त निर्माण ठेकेदार नहीं हैं, विशेषत: सड़कों तथा भवनों के निर्माण में लगे हुए सिविल निर्माण ठेकेदार माल के विर्निमाता न होने के कारण फार्म वैट डी-1 के विरूद्ध रियायती दर पर माल खरीदने की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि ऐसे किसी डीलर ने फार्म वैट डी-1 का दुरूपयोग किया है तो जैसा कि अधिनियम/नियमों के अंतर्गत प्रावधान है उसके विरूद्ध दंड कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। आगे, यदि कोई प्राधिकृत डीलर किसी माल को खरीदने के बाद विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है, ए.ए. उस पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(5) के अंतर्गत एक राशि, जो कर से डेढ़ गुणा से अधिक न हो जो अतिरिक्त रूप से उद्गृहीत की जाएगी, पेनल्टी के रूप में लगा सकता है। तथापि, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी यदि डीलर, उस अवधि के लिए रिर्टनस के साथ स्वेच्छा से उस कर का भुगतान करता है जोकि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1)(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से उद्गृहीत किया जाना था, जब वह विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदे माल का प्रयोग करने में विफल रहा था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के कर-निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2013) कि एक डीलर (नियमित/सामान्य निर्माण ठेकेदार) ने वर्ष 2009-10 के दौरान फार्म वैट डी-1 में घोषणा के विरूद्ध ₹ 3.06 करोड़ का माल खरीदा। यह प्राधिकृत नहीं था क्योंकि डीलर सामान्य निर्माण ठेकेदार था जिसने कर के एकमुश्त भुगतान का विकल्प नहीं दिया था तथा ₹ 33.41 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था। डीलर ने रिटर्नस के साथ ₹ 26 लाख के अतिरिक्त कर का भुगतान भी नहीं किया तथा इस प्रकार, फार्म वैट डी-1 पर

दिए प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया। अत:, डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत ₹ 26 लाख के अतिरिक्त कर तथा ₹ 39 लाख की पेनल्टी के भुगतान के लिए दायी था। ए.ए., मार्च 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय इस उल्लंघन के लिए इसका उद्ग्रहण करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65 लाख के अतिरिक्त कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

डी.ई.टी.सी (एस.टी.) पानीपत ने उत्तर दिया (सितंबर 2015) कि मामला उपयुक्त कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजा गया था।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.11 विक्रयों के छिपाने के कारण कर का अपवंचन

विक्रयों के छिपाने के संबंध में ₹ 67.59 लाख की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 22.53 लाख के कर की वसूली के लिए चार चूककर्ता डीलरों के विरूद्ध नौ मास बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों राज्य में आयातों या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जिसमें किसी सामग्री के विवरण झूठे या गलत हैं, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाता है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के अंतर्गत आने वाले चार डीलरों (धागा तथा अपशिष्ट का व्यापार करने वाले) ने अपनी बिक्रियों में ₹ 4.29 करोड़ के उस माल को शामिल नहीं किया जो पानीपत के एक डीलर को 2011-12 के दौरान बेचा गया था तथा इस प्रकार, बिक्रियों को छिपाया। ए.ए. ने इन डीलरों के कर-निर्धारण अंतिम किए (अप्रैल से जुलाई 2013)। बिक्रियों का यह छिपाव ए.ए. के ध्यान में आया (जनवरी 2014) किंतु संबंधित ए.ए. द्वारा धारा 38 के अंतर्गत कर तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु चूककर्ता डीलरों के विरूद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। इस प्रकार, डीलरों ने ₹ 4.29 करोड़ मूल्य के विक्रय छिपाए तथा पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 22.53 लाख के कर के साथ सरचार्ज के भुगतान के लिए दायी थे। अतिरिक्त रूप से, बिक्रियों को छिपाने पर बचाए गए कर के तीन गुणा की दर पर ₹ 67.59 लाख की अनिवार्य पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत ने उत्तर दिया (सितंबर 2015) कि तीन मामलों में पुन: कर-निर्धारण किए गए हैं तथा ₹ 22.21 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा शेष एक मामले में पुन: कर-निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.12 एच.डी.पी.ई. पाईपों के विक्रय पर कर का अनुद्ग्रहण

पांच प्रतिशत की दर पर कर के साथ सरचार्ज उद्ग्रहण करने की बजाय ₹ 3.08 करोड़ के एच.डी.पी.ई. पाईपों के करमुक्त विक्रय की अनुमति दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 10.68 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 16.17 लाख की राशि के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अंतर्गत, माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए अधिनियम की 'ए' से 'जी' सूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहणीय है। वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 18 नवंबर 2011 को स्पष्ट किया है कि हाई डैंसिटी पोलीथिलीन पाईपें (एच.डी.पी.ई.) करमुक्त वस्तुएं नहीं हैं परंतु एच.वी.ए.टी. अधिनियम की सूची 'सी' की प्रविष्टि संख्या 60 के अधीन आवृत्त हैं तथा पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई तथा जून 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के अंतर्गत एक डीलर ने ₹ 3.08 करोड़ मूल्य की एच.डी.पी.ई. पाईपें बेची (2010-11 तथा 2011-12) तथा कर मुक्त विक्रय का दावा किया। ए.एज ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय (नवंबर 2013 तथा फरवरी 2014) पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करने की बजाय वही अनुमत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.17 लाख की राशि के कर के साथ सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

ए.ए. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2015) कि मामले स्वत: कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय 3 : राज्य उत्पाद शुल्क

3.1.1 कर प्रबंध

सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। उनकी सहायता मुख्यालय पर क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षक एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा की जाती है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यत: विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की प्रदानगी हेतु लाईसैंस फीस, डिस्टलरियों एवं ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 में उत्पाद-शुल्क, लाईसैंस फीस प्राप्तियों इत्यादि से संबंधित 36 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 660 मामलों में ₹ 70.39 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद-शुल्क/लाईसैंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई, **तालिका 3.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 3.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	लाईसैंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	494	63.15
2	बिक्रियों के पुन: आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	4	2.23
3	• अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली • पेनल्टी न लगाना	68 30	0.75 0.18
4	विविध अनियमितताएं	64	4.08
	योग	**660**	**70.39**

वर्ष के दौरान विभाग ने 251 मामलों में ₹ 27.12 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें 230 मामलों में आवेष्टित ₹ 27.03 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 87 मामलों में ₹ 5.33 करोड़ वसूल किए, जिनमें 66 मामलों में आवेष्टित ₹ 5.25 करोड़ वर्ष 2014-15 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 20.44 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

3.2 लाईसैंस फीस तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

41 लाईसैंसधारी, निर्धारित तारीखों तक वर्ष 2013 – 14 हेतु देय लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने दुकानों को सील करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की परिणामतः ₹ 15.39 करोड़ की लाईसैंस फीस तथा ₹ 4.58 करोड़ के ब्याज की अवसूली/कम वसूली/अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

वर्ष 2012 – 13 तथा 2013 – 14 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित हरियाणा मद्य लाईसैंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) के अंतर्गत देशी शराब (दे.श.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) बेचने के लिए खुदरा दुकानों के लाईसैंस रखने वाले लाईसैंसधारी/आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्त के भुगतान के लिए प्रावधान करते हैं। वर्ष 2013 – 14 हेतु दुकानों/दुकानों के समूह की लाईसैंस फीस की पूर्ण राशि अप्रैल 2013 से आरंभ होकर मार्च 2014 तक बारह सामान मासिक किश्तों में जमा करवाई जाएगी जिसमें विफल रहने पर लाईसैंसधारी माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

3.2.1 लेखापरीक्षा द्वारा (मई तथा सितंबर 2014) डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[1] में वर्ष 2013 – 14 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान के एम – 2 रजिस्टरों[2] से देखा गया कि 41 लाईसैंसधारी वर्ष 2013 – 14 हेतु लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित तारीखों तक करने में विफल रहे। 31 मार्च 2015 को विलम्ब 396 से 730 दिनों के मध्य श्रृंखलित था। लाईसैंसधारकों ने देय ₹ 111.28 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 95.89 करोड़ का भुगतान किया था। तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने एच.एल.एल. नियमों के अनुसार कोई ठोस कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 15.39 करोड़ की लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) सोनीपत तथा कैथल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि 16 मामलों में अगस्त 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य ₹ 8.52 करोड़ (लाइसैंस फीस: ₹ 7.57 करोड़; ब्याज: ₹ 94.90 लाख) में से ₹ 4.82 करोड़ (लाइसैंस फीस: ₹ 4.48 करोड़; ब्याज: ₹ 33.95 लाख) की राशि वसूल/समायोजित की गई थी तथा ₹ 3.70 करोड़ की शेष राशि वसूल करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), भिवानी, नारनौल तथा पलवल ने बताया (जनवरी तथा अप्रैल 2015) कि ₹ 1.64 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त

1 भिवानी, कैथल, नारनौल, पलवल तथा सोनीपत।

2 एम – 2 रजिस्टर को नीलामी द्वारा निर्धारित फीस पर अनुमत लाईसैंसों के रजिस्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है।

₹ 7.82 करोड़ की बकाया लाइसैंस फीस वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे/चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

3.2.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों[3] में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान हेतु एम.-2 रजिस्टर भी यह दर्शाते थे कि 101 लाईसैंसधारकों ने अप्रैल 2012 तथा मार्च 2014 की मध्य अवधि हेतु ₹ 91.59 करोड़ की राशि की लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीखों के पश्चात् किया था। विलंब 21 और 151 दिनों के मध्य श्रृंखलित था। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने तथापि, दुकानों को सील/सीज करने के लिए तथा लाईसैंसफीस के विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

सभी डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (मार्च एवं अप्रैल 2015) कि ₹ 25.07 लाख के ब्याज की राशि प्रतिभूति से वसूल/समायोजित कर ली गई है तथा ₹ 1.74 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

ऐसे मामले वर्ष 2010-11 से 2013-14 के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी इंगित किए गए थे तथा ऐसी गलतियां अभी भी दोहराई जा रही हैं किंतु आज तक कोई वसूली नहीं की गई।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

3.3 अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली

हरियाणा आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप 42 मामलों में ₹ 4.69 लाख की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ। आगे, यद्यपि विभाग द्वारा 108 मामलों मे ₹ 42.32 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी, अभी तक वसूली नहीं गई थी।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1) के अंतर्गत 750 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल पर न्यूनतम ₹ 50 तथा अधिकतम ₹ 500 की पेनल्टी अवैध शराब[4] के स्वामित्व हेतु दोषी पर उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा पेनल्टी आरोपण तथा वसूली नियम, 2003 के नियम 12 तथा 13 प्रावधान करते हैं कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलेक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

3 फरीदाबाद, जींद, करनाल, नारनौल, पंचकुला, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

4 अवैध शराब का तात्पर्य किसी गुणवत्ता जांच के बिना गुप्त रूप से/अवैध रूप से तैयार की गई तथा स्वीकार्य से उच्चतर मादक केन्द्रीकरण के कारण मानव खपत हेतु अनुपयुक्त शराब से है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[5] में लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2013 से सितंबर 2014) कि वर्ष 2012 – 13 तथा 2013 – 14 के लिए विभाग ने 108 मामलों में भारत में निर्मित विदेशी शराब/देशी शराब/बीयर की 71,250 अवैध बोतलें रोक ली थी तथा 17 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् 66 मामलों का निर्णय किया तथा 2012 – 13 एवं 2013 – 14 के दौरान ₹ 42.32 लाख की पेनल्टी लगाई। तथापि, 42 मामलों में ₹ 4.69 लाख की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई थी। दोषियों ने पेनल्टी का भुगतान नहीं किया परिणामस्वरूप ₹ 47.01 लाख (₹ 42.32 लाख + ₹ 4.69 लाख) की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) करनाल, जगाधरी तथा सोनीपत ने बताया (अप्रैल 2015) कि 10 मामलों में ₹ 30.76 लाख में से ₹ 26,000 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 30.50 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) जींद तथा कैथल ने बताया (अप्रैल 2015) कि ₹ 16.25 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

[5] जगाधरी, जींद, करनाल, कैथल तथा सोनीपत।

अध्याय – 4

स्टाम्प शुल्क

अध्याय 4: स्टाम्प शुल्क

4.1.1 कर प्रबंध

राज्य में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) तथा पंजीकरण फीस (आर.एफ.) से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। सरकारी स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में आई.एस. अधिनियम तथा आई.आर. अधिनियम एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। एस.डी. तथा आर.एफ. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता 21 उपायुक्तों (डी.सीज), 83 तहसीलदारों तथा 47 नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमश: रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों (एस.आरज) तथा संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आरज) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

4.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 में राजस्व विभाग के 89 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,441 मामलों में ₹ 227.83 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, इत्यादि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो **तालिका 4.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 4.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1.	निम्नलिखित के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली		
	• अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन	462	149.49
	• भूमि की खरीद पर आवासीय दरों का अप्रभारण	482	6.37
	• दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	102	18.52
2.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम प्रतिफल पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	106	1.23
3.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	166	0.96
4.	विविध अनियमितताएं	123	51.26
योग		**1,441**	**227.83**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 448 मामलों में ₹ 19.96 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित एक मामले में ₹ 17,379 वसूल किए।

₹ 19.96 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.2 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

89 विलेख कलैक्टर द्वारा नियत दरों पर आधारित ₹ 566.65 करोड़ पर कर – निर्धारित करने की बजाए ₹ 258.45 करोड़ पर कर – निर्धारित किए गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा राज्य को यथा लागू आई.एस.अधिनियम की धारा 2 (10) के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिए पृथक दरें निर्धारित की गई हैं। दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें दर्ज लेन-देनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे, आई.एस.अधिनियम की धारा 47-ए के अनुसार यदि पंजीकरण अधिकारी के पास इस आशय का कोई प्रमाण है कि सम्पत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल, जैसा भी मामला हो, तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु कलैक्टर के पास भेज सकता है।

उप-रजिस्ट्रारों (एस.आरज)/संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आरज) के 17 कार्यालयों[1] के वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (अक्तूबर 2013 से मार्च 2015) कि कृषीय भूमि हेतु कलैक्टर द्वारा नियत दरों के आधार पर मई 2011 तथा नवंबर 2013 के मध्य 89 विलेख[2] पंजीकृत किए गए थे। इन संपत्तियों के मूल्य ₹ 258.45 करोड़[3] पर निर्धारित किए गए थे जिन पर विभाग ने ₹ 16.73 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया। तथापि, 78 विलेखों में बेची गई अचल संपत्तियां, कलैक्टर की दर सूची में दिए गए भूमि अभिलेखों/खसरा नंबरों के अनुसार वाणिज्यिक/आवासीय थी तथा 11 विलेखों में राजस्व विभाग द्वारा रखे गए भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) के अनुसार वे आंशिक रूप से वाणिज्यिक अर्थात् होटल, स्टोन क्रशर, पेट्रोल पंप, फैक्टरियां तथा राईस शैलर थे। वाणिज्यिक/आवासीय संपत्तियों हेतु कलैक्टर द्वारा नियत दरों पर आधारित इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 566.65 करोड़ निर्धारित किया जाना था जिस पर ₹ 31.26 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण ₹ 14.53 करोड़ (₹ 31.26 करोड़ - ₹ 16.73 करोड़) के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

आठ एस.आरज/जे.एस.आरज[4] ने उत्तर दिया (फरवरी 2014 से अगस्त 2015) कि मामले, आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे गए थे/जाएंगे। एस.आर. घरौंडा ने तीन मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2015) तथा बताया कि दो

1 एस.आरज/जे.एस.आरज: आदमपुर, बल्लाह, बल्लभगढ़, बरवाला, गन्नौर, घरौंडा, गुड़गांव, हांसी, हिसार, इन्द्री, करनाल, मानेसर, नीलोखेड़ी, निसिंग, राई, सोनीपत तथा उकलाना।

2 तीन वर्षों से अधिक 11 विलेख।

3 11 मामलों में मूल्य आनुपातिक आधार पर परिकलित किए गए थे।

4 एस.आरज/जे.एस.आरज: आदमपुर, बरवाला, गन्नौर, हांसी, हिसार, राई, सोनीपत तथा उकलाना।

मामलों में भूमि कृषीय भूमि/खाली भूमि थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भूमि अभिलेख (जमाबंदी) दर्शाते हैं कि उन दो मामलों में भूमि को वाणिज्यिक (फैक्टरी) के रूप में दर्शाया गया था। एस.आर. करनाल ने बताया (जनवरी 2015) कि ₹ 6.98 लाख की राशि के छ: मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने थे तथा आगे स्वीकार किया कि चूंकि तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों के लिए वसूली का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि आवेष्टित राजस्व के विचार से मामलों को अंतिम निर्णय हेतु कलैक्टर के पास भेजा गया था। एस.आर. नीलोखेड़ी ने फरवरी 2015 में बताया कि एक मामला तीन वर्ष से अधिक पुराना था तथा शेष आठ मामलों को अंतिम निर्णय हेतु कलैक्टर के पास भेजा गया था। एस.आर. बल्लभगढ़ ने मार्च 2015 में बताया कि मामला अंतिम निर्णय हेतु धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजा जाएगा। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट तथा शेष पांच एस.आरज/जे.एस.आरज[5] से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवंबर 2015)।

मामला जून तथा जुलाई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

4.3 अचल संपत्ति की गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत तथा गांव में आवासीय क्षेत्रों के निकट किंतु नगरपालिका के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लाटों के 127 बिक्री विलेखों का शहरी भूमि की बजाय कृषीय भूमि हेतु नियत दरों पर कर-निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) का अपवंचन रोकने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को नवम्बर 2000 में इस प्रभाव के अनुदेश जारी किए कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई कृषीय भूमि एस.डी. के उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु उस स्थान की आवासीय सम्पत्ति के लिए नियत दर पर मूल्यांकित की जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2013 से अप्रैल 2014) कि 32 पंजीकरण कार्यालयों[6] में उपर्युक्त अधिसूचना के पैरामीटर के भीतर आने वाले प्लॉटों के 127 बिक्री विलेख अप्रैल 2011 तथा जुलाई 2013 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। ये विलेख, आवासीय क्षेत्रों के लिए नियत दरों पर आधारित ₹ 67.79 करोड़ के लिए निर्धारित किए जाने थे और ₹ 3.88 करोड़ का एस.डी. प्रभार्य था। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषीय भूमि हेतु नियत दरों पर आधारित

5 एस.आरज/जे.एस.आरज: बल्लाह, गुड़गांव, इन्द्री, मानेसर तथा निसिंग।

6 एस.आरज/जे.एस.आरज: असंध, बरवाला, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, फारूखनगर, गन्नौर, घरौंडा, गोहाना, गुड़गांव, हांसी, हथीन, हिसार, जगाधरी, झज्जर, करनाल, कुरूक्षेत्र, लाडवा, मानेसर, महेन्द्रगढ़, निसिंग, नूंह, पटौदी, पानीपत, पंचकूला, पेहोवा, पुन्हाना, समालखा, शाहबाद, सोहना, सोनीपत तथा टोहाना।

₹ 26.85 करोड़ हेतु विलेख निर्धारित किए तथा ₹ 1.42 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ (₹ 3.88 करोड़ - ₹ 1.42 करोड़) के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

29 एस.आरज/जे.एस.आरज[7] ने उत्तर दिया (जून 2013 से अप्रैल 2014) कि एस.आर. गुड़गांव, कुरूक्षेत्र तथा टोहाना के पांच मामलों में ₹ 2.42 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष मामले अंतिम निर्णय हेतु आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे गए थे/जाएंगे। एस.आरज नूंह तथा पुन्हाना ने बताया कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली पर आगे कोई प्रगति रिपोर्ट तथा एस.आर. महेन्द्रगढ़ से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवंबर 2015)।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

4.4 प्राइम खसरा भूमि पर नॉन प्राइम दरों के लागू करने से स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

कलैक्टर द्वारा 65 विलेख प्राइम भूमि हेतु नियत दरों पर ₹ 66.78 करोड़, जिन पर ₹ 2.86 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था, की बजाए कृषीय भूमि के रूप में ₹ 35.92 करोड़ हेतु निर्धारित किए गए थे जिन पर ₹ 1.63 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

नवंबर 2000 में जारी हरियाणा सरकार के अनुदेशों के अनुसार मूल्यांकन समिति को प्राइम भूमि अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों पर स्थित भूमि, लिंक सड़कों के 2-3 एकड़ तक दायरे, विकसित कालोनियों/वार्डों/सैक्टरों के लिए पृथक दरें तय करनी होती है और स्टॉम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए कलैक्टर की दर सूची में खसरा नंबर लिखने होते हैं। तत्पश्चात्, इन प्राइम खसरों में स्थित अचल संपत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए ये दरें पंजीकरण प्राधिकारी के पास भेज दी जाती हैं। आगे, आई.एस. अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यत: सामने रखी जानी चाहिए।

एस.आरज/जे.एस.आरज के 11 कार्यालयों[8] के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2012 से जनवरी 2015) कि अप्रैल 2011 तथा नवंबर 2013 की मध्यावधि के दौरान कृषीय भूमि हेतु नियत सामान्य खसरा दरों पर बिक्री हेतु 65 हस्तांतरण विलेख पंजीकृत किए गए थे। यह भी पाया गया था कि इन विलेखों में हस्तांतरित खसरे प्राइम खसरों (उच्चतर भूमि दरों वाले) के साथ मेल खाते थे। इस प्रकार, भूमि का मूल्य प्राइम भूमि के लिए कलैक्टर द्वारा नियत दरों पर ₹ 66.78 करोड़ निर्धारित किया जाना दायी था जिस पर ₹ 2.86 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय

7 एस.आरज/जे.एस.आरज: असंध, बरवाला, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, फारूखनगर, गन्नौर, घरौंडा, गोहाना, गुड़गांव, हांसी, हथीन, हिसार, जगाधरी, झज्जर, करनाल, कुरूक्षेत्र, लाडवा, मानेसर, निसिंग, पेहोवा, पटौदी, पानीपत, पंचकूला, समालखा, शाहबाद, सोहना, सोनीपत तथा टोहाना।

8 अंबाला, बरवाला, गन्नौर, हांसी, हिसार, कलानौर, महम, नाथूसारी चौपटा, राई, सांपला तथा सोनीपत।

था। परंतु ये विलेख कृषीय भूमि के लिए नियत दरों पर ₹ 35.92 करोड़ हेतु निर्धारित किए गए थे जिन पर ₹ 1.63 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ (₹ 2.86 करोड़ – ₹ 1.63 करोड़) के एस.डी. का अपवंचन हुआ।

सभी एस.आरज/जे.एस.आरज ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (मार्च 2013 से सितंबर 2015) कि मामले निर्णय हेतु आई.एस. अधिनियम की धारा 47–ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे गए थे। बरवाला के एक मामले के संबंध में ₹ 17,379 की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 1.23 करोड़[9] की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर आगे कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (नवंबर 2015)।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

4.5 पुराने अनुबंध के आधार पर दस्तावेजों के पंजीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

पंजीकरण प्राधिकारियों ने, कलैक्टर दरों के अनुसार ₹ 17.26 करोड़ के मूल्य तथा ₹ 89.80 लाख के एस.डी., पर दस्तावेजों के पंजीकरण की बजाय पार्टियों के मध्य पहले ही अनुबद्ध की गई दरों के आधार पर भूमि का मूल्य ₹ 4.27 करोड़ निर्धारित किया तथा ₹ 18.55 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप 45 मामलों में ₹ 71.25 लाख के एस.डी. की कम वसूली हुई।

मई 2010 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) बेची जाने वाली भूमि के कलैक्टर दर पर उद्गृहीत की जाएगी न कि खरीददार तथा विक्रेता के मध्य माने गए मूल्य के आधार पर। यदि पंजीकरण प्राधिकारी के पास इस आशय का कोई प्रमाण है कि संपत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल, जैसा भी मामला हो, तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु कलैक्टर के पास भेज सकता है।

एस.आरज/जे.एस.आरज के 21 कार्यालयों[10] के वर्ष 2011–2012 तथा 2012–2013 के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (अक्तूबर 2012 से मार्च 2014) कि 45 मामलों में पंजीकरण प्राधिकारियों ने पार्टियों के मध्य पहले ही मानी गई दरों के आधार पर ₹ 4.27 करोड़ पर भूमि के मूल्य का निर्धारण किया तथा ₹ 18.55 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया, किंतु दस्तावेजों के पंजीकरण के समय लागू कलैक्टर दर के अनुसार अचल संपत्ति का वास्तविक मूल्य ₹ 17.26 करोड़ था तथा ₹ 89.80 लाख का एस.डी. उद्ग्राह्य था परिणामस्वरूप ₹ 71.25 लाख (₹ 89.80 लाख – ₹ 18.55 लाख) के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

9 ₹ 1,23,24,614 – ₹ 17,379 = ₹ 1,23,07, 235 अर्थात् ₹ 1.23 करोड़।

10 एस.आरज: अंबाला शहर, बबैन, बपोली, बावल, धारूहेड़ा, गोहाना, जींद, कुरूक्षेत्र, कोसली, मतलौडा, नरवाना, पानीपत, रेवाड़ी, साहा, सफीदों, समालखा, शाहाबाद, सोनीपत तथा टोहाना; जे.एस.आरज: पिल्लूखेड़ा तथा उचाना।

18 एस.आरज/जे.एस.आरज[11] ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014 से सितंबर 2015) कि मामले बिक्री विलेखों में संपत्ति के सही मूल्य का निर्धारण करने के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे तथा बावल और जींद के दो मामलों में ₹ 96,162 की राशि वसूल की गई थी। तीन एस.आरज/जे.एस.आरज[12] ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012 से मार्च 2014) कि मामले निर्णय हेतु आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

4.6 अचल सम्पत्ति के अव–मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन

62 हस्तान्तरण विलेख, पार्टियों के मध्य अनुबद्ध किए गए मूल्य से कम मूल्य पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण ₹ 68.72 लाख के स्टाम्प शुल्क का अपवंचन हुआ।

आई.एस. अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पू र्तिया अथवा सत्यत: सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस अधिनियम की धारा 64 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी अपेक्षित तथ्य एवं परिस्थितियां, पूर्णतयातथा सत्य रूप से सामने नहीं रखे गए हैं, जुर्माना, जो प्रति दस्तावेज ₹ 5,000 तक बढ़ाया जा सकता है, सहित दंडनीय है।

22 पंजीकरण कार्यालयों[13] के जे.एस.आर./एस.आर. कार्यालय में निष्पादित विलेख लेखकों/अनुबंधों के रजिस्टर के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2012 से मार्च 2014) कि ₹ 14.75 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 62 हस्तांतरण विलेख अप्रैल 2011 तथा जनवरी 2014 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। जिन पर ₹ 56.28 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था। फरवरी 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य संबंधित पार्टियों के मध्य निष्पादित अनुबंधों के साथ इन विलेखों के क्रॉस सत्यापन ने दर्शाया कि इन अनुबंधों का कुल विक्रय मूल्य ₹ 46.72 करोड़ परिकलित किया गया था जिन पर ₹ 1.25 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था। इस प्रकार, हस्तांतरण विलेख पार्टियों के मध्य मानी गई दरों से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 68.72 लाख के स्टाम्प शुल्क का अपवंचन हुआ।

11 एस.आरज/जे.एस.आरज[14] ने उत्तर दिया (दिसंबर 2012 से सितंबर 2015) कि मामले बिक्री विलेखों में संपत्ति के सही मूल्य का निर्धारण करने के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे।

11 एस.आरज: अंबाला, बबैन, बावल, धारूहेड़ा, गोहाना, जींद, कुरूक्षेत्र, कोसली, नरवाना, पानीपत, रेवाड़ी, साहा, समालखा, सफीदों, शाहाबाद तथा टोहाना; जे.एस.आरज: पिल्लूखेड़ा तथा उचाना।

12 एस.आरज: बपोली, मतलौडा तथा सोनीपत।

13 बल्लभगढ़, भूना, बल्लाह, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गोहाना, गन्नौर, होडल, हथीन, जींद, जाखल, खानपुरकलां, खरखोदा, मतलौडा, नूंह, नरवाना, पिल्लूखेड़ा, समालखा, सफीदों, टोहाना, उचाना तथा पलवल।

14 बल्लभगढ़, बल्लाह, फरीदाबाद, गन्नौर, गोहाना, होडल, खानपुरकलां, खरखोदा, मतलौडा, समालखा तथा उचाना।

सात एस.आरज/जे.एस.आरज[15] ने बताया (अप्रैल 2012 से जून 2014) कि मामले निर्णय हेतु आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए की गई कार्रवाई तथा शेष चार एस.आरज/जे.एस.आरज[16] से उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2015)।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

4.7 स्टॉम्प शुल्क की अनियमित छूट

27 मामलों में अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजे की प्राप्ति के दो वर्ष पश्चात् भूमि खरीदने वाले किसानों को स्टॉम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 17.57 लाख की सीमा तक एस.डी. का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

आई.एस. अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2011 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार सरकार उन किसानों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बिक्री विलेखों के संबंध में स्टॉम्प शुल्क (एस.डी.) माफ करती है जिनकी भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अधिगृहीत की जाती है तथा जो सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि हेतु उनके द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि के दो वर्ष के भीतर राज्य में कृषीय भूमि खरीदते हैं। माफी केवल मुआवजे की राशि तक सीमित होगी तथा कृषीय भूमि के क्रय में अवेष्टित अतिरिक्त राशि, नियमों के अनुसार एस.डी. हेतु दायी होगी।

जे.एस.आर./एस.आर. के 11[17] कार्यालयों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (सितंबर 2013 से नवंबर 2014) कि 25 मामलों में किसानों ने, जिनकी भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई थी, ₹ 1.63 करोड़ मूल्य की आवासीय/वाणिज्यिक भूमि तथा दो मामलों में मई 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य ₹ 1.77 करोड़ मूल्य की कृषीय भूमि (मुआवजा राशि की प्राप्ति के दो वर्ष पश्चात्) खरीदी। चार से सात प्रतिशत की दर से ₹ 17.75 लाख की राशि का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया जाना था, क्योंकि किसानों ने मुआवजे की प्राप्ति के दो वर्ष पश्चात् आवासीय भूमि अथवा कृषीय भूमि खरीदी थी तथा यद्यपि वे एस.डी. की छूट हेतु पात्र नहीं थे। विभाग ने नरवाना के एक मामले में केवल ₹ 18,050 का एस.डी. उद्गृहीत किया। इस प्रकार, एस.डी. की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 17.57 लाख के एस.डी. का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

जे.एस.आर. जुलाना ने उत्तर दिया (नवंबर 2014) कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्य सभी जे.एस.आरज/एस.आरज[18] ने बताया (दिसंबर 2013 से मई 2015) कि मामले निर्णय हेतु आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे गए थे/जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है (नवंबर 2015)।

15 भूना, जींद, जाखल, टोहाना, नरवाना, पिल्लूखेड़ा तथा सफीदों।

16 फतेहाबाद, हथीन, नूंह तथा पलवल।

17 एस.आरज/जे.एस.आरज: अंबाला शहर, भूना, घरौंडा, जुलाना, नीलोखड़ी, नरवाना, नारायणगढ़, साहा, शहजादपुर, सफीदों तथा उचाना।

18 एस.आरज/जे.एस.आरज: अंबाला शहर, भूना, घरौंडा, नीलोखड़ी, नरवाना, नारायणगढ़, साहा, शहजादपुर, सफीदों तथा उचाना।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

4.8 स्टॉम्प शुल्क में कटौती के माध्यम से अदेय लाभ

रक्त संबंधियों से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में गिफ्ट विलेखों के निष्पादन हेतु प्रावधान के उल्लंघन में एस.डी. में छूट के माध्यम से अदेय लाभ के परिणामस्वरूप गिफ्ट विलेखों के 120 दस्तावेजों में राज्य राजकोष को ₹ 16.29 लाख के राजस्व की हानि हुई।

आई.एस. अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने निष्पादकों के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्वयं अधिगृहीत अचल संपत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों के संबंध में एक प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) कम किया।

एस.आरज/जे.एस.आरज के पांच कार्यालयों[19] में वर्ष 2012 – 13 तथा 2013 – 14 के लिए गिफ्ट विलेखों के पंजीकृत दस्तावेजों से लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च से अगस्त 2014) कि गिफ्ट विलेखों के 120 दस्तावेज सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना में अनुमत किए गए से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए थे। पंजीकरण प्राधिकारियों ने आदाताओं को एक प्रतिशत एस.डी. की छूट की अनुमति दे दी जो सरकार के उपर्युक्त आदेशों के उल्लंघन में थी। इस प्रकार एस.डी. में कटौती के द्वारा अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 16.29 लाख के राजस्व की हानि हुई।

जे.एस.आर. शहजादपुर ने उत्तर दिया (नवंबर 2014) कि वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए थे। जे.एस.आर. मतलौडा तथा एस.आर. नारायणगढ़ ने बताया (मार्च तथा अगस्त 2014) कि नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी। जे.एस.आर. अंबाला छावनी तथा पानीपत ने मई तथा सितंबर 2015 में बताया कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए मामले कलैक्टर के पास भेजे गए थे। पंजीकरण प्राधिकारियों के उत्तर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये मामले कलैक्टर को क्यों भेजे गए थे जबकि निर्णय के लिए इन मामलों को कलैक्टर को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्वयं अधिगृहीत अचल-संपत्ति के हस्तांतरण निष्पादन के लिए एस.डी. में कटौती के संबंध में अधिसूचना में यह स्पष्टत: निर्दिष्ट था। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (नवंबर 2015)।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

[19] एस.आरज: नारायणगढ़, पानीपत; जे.एस.आरज: अंबाला छावनी, मतलौडा तथा शहजादपुर।

अध्याय – 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबंध

5.1.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 62 उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग 21 सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.1.2 यात्री एवं माल कर

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा, पंचकूला के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है।

5.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 में टोकन टैक्स, फिटनेस/नवीकरण फीस, यात्री एवं माल पर कर, पेनल्टी इत्यादि से संबंधित 71 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने **तालिका 5.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत 3,81,054 मामलों में ₹ 49.10 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताएं दर्शाई।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1.	पी.पी.जी.टी. अधिनियम, 1952 के अंतर्गत माल कर एवं यात्री कर की वसूली	01	38.69
2.	मोटर वाहन कर में आऊटसोर्सड गतिविधियों से राजस्व का संग्रहण	01	0.54
3.	पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के कारण फिटनेस/नवीकरण फीस की अवसूली	3,57,289	6.71
4.	स्टेज कैरेज बसों/सिटी बसों के संबंध में टोकन/रोड टैक्स की अवसूली/कम वसूली	202	1.06
5.	ओवरलोडिड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	59	0.10
6.	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• यात्री कर	534	0.98
	• माल कर	880	0.53
	• प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स	331	0.19
7.	विविध अनियमितताएं	21,757	0.30
	योग	**3 ,81,054**	**49.10**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 931 मामलों में ₹ 39.58 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से 904 मामलों में आवेष्टित ₹ 39.54 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 31 मामलों में ₹ 0.05 करोड़ वसूल किए जिनमें से चार मामलों में ₹ 0.01 करोड़ वर्ष 2014-15 से संबंधित तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में आवेष्टित थे।

₹ 39.28 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं:

यात्री एवं माल कर

5.2 पी.पी.जी.टी. अधिनियम, 1952 के अंतर्गत माल कर एवं यात्री कर की वसूली

आंतरिक नियंत्रण, मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी, चूककर्ता वाहन मालिकों को नोटिस भेजने में विफल रहे परिणामस्वरूप 15,850 मामलों में ₹ 14.59 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त या तो डी.सी.आरज को अद्यतन नहीं किया गया या ₹ 24.10 करोड़ की सीमा तक यात्री एवं माल कर की कम वसूली हुई।

माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले, जिसमें वाहन के स्वामी का निवास या व्यापार का स्थान हैं जहां वाहन को सामान्यत: रखा जाता है, के ए.ई.टी.ओ. के पास पंजीकृत करवाने अपेक्षित हैं। राजस्व के उच्चतम संग्रहण वाले दो जिले फरीदाबाद (पूर्व एवं पश्चिम) तथा गुड़गांव चयन किए गए थे तथा शेष चार जिले रैंडम चयन पद्धति के

आधार पर चयन किए गए थे। 21 जिलों में से छः जिलों में डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) के सात कार्यालयों[1] के 2011 – 12 से 2013 – 14 तक की अवधि के अभिलेखों की दिसंबर 2014 तथा अप्रैल 2015 के मध्य यह निर्धारण करने के लिए नमूना – जांच की गई थी कि क्या विभाग में यात्री एवं माल कर की वसूली के लिए यंत्रावली प्रभावी थी। देखी गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार थी:

5.2.1 माल कर की अवसूली/कम वसूली

राज्य में अथवा राज्य के अन्दर से जाने वाले सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्ग्राहय है। दरें 25 मार्च 2011 से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार सकल वाहन भार के आधार पर निर्धारित की गई हैं। दरें, ₹ 4,000 प्रतिवर्ष (10 टन से ज्यादा नहीं), ₹ 5,600 प्रतिवर्ष (10 टन से ज्यादा लेकिन 17 टन से ज्यादा नहीं) और ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (17 टन से ज्यादा) हैं। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 14 (बी) के अनुसार यदि निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन का मालिक कर का भुगतान न की गई राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के सात कार्यालयों[2] में 75,105 वाहनों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2014 से अप्रैल 2015) कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 14,342 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2011 तथा मार्च 2014 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए या तो ₹ 20.54 करोड़ की राशि का माल कर जमा नहीं करवाया था या विभाग ने मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आरज) अद्यतन नहीं किया था। तथापि, विभाग द्वारा कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे तथा कर – निर्धारण प्राधिकारी भी डी.सी.आरज की समीक्षा करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.37 करोड़ के ब्याज[3] के अतिरिक्त ₹ 20.54 करोड़ के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

सभी डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि 359 वाहन मालिकों से ₹ 12.40 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 25.33 लाख की राशि का माल कर वसूल किया गया था तथा ₹ 32.53 करोड़ की बकाया राशि को वसूल करने के लिए शेष वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे।

5.2.2 टैक्सी कार/मैक्सी कैब मालिकों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

पी.पी.जी.टी. नियमों की धारा 9 (1) (iv) एवं (iv-ए) के अंतर्गत (i) पांच सीट वाली तथा (ii) सात से 12 सीट वाली टैक्सी कार/मैक्सी कैब पर क्रमशः (i) ₹ 3,000 प्रति वर्ष (ii) ₹ 100 प्रति सीट प्रति माह की दर पर यात्री कर उद्ग्राहय है। कर, समान त्रैमासिक किश्तों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राहय है।

1 भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव, जगाधरी, रेवाड़ी तथा रोहतक।

2 भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव, जगाधरी, रेवाड़ी तथा रोहतक।

3 31 मार्च 2015 तक परिकलित ब्याज।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के सात कार्यालयों[4] में 10,665 वाहनों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2014 से अप्रैल 2015) कि यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग की गई 1,363 टैक्सी कारों/मैक्सी कैब के वाहन मालिकों ने अप्रैल 2011 तथा मार्च 2014 के मध्य विभिन्न अवधियों हेतु ₹ 3.26 करोड़ की राशि का यात्री कर या तो जमा नहीं करवाया था या विभाग ने डी.सी.आरज अद्यतन नहीं किए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 3.26 करोड़ की राशि के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

सभी डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि चार डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.)[5] ने 11 वाहन मालिकों से ₹ 63,000 के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.27 लाख के यात्री कर की वसूली की गई थी तथा ₹ 5.24 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए चूककर्त्ता वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे।

5.2.3 स्कूल/संस्थान बस मालिकों से यात्री कर की कम वसूली

नियम 9(2एफ) (i), के अंतर्गत यदि बस चार्जिज ₹ 200 प्रति सीट से अधिक हो जाते हैं तो शैक्षिक संस्थाओं[6] तथा निजी स्कूलों के मालिकों को एक वर्ष में नौ माह (जुलाई से मार्च) के लिए क्रमश: ₹ 60 तथा ₹ 20 प्रति सीट का एकमुश्त भुगतान करना होगा। आगे, हरियाणा सरकार की दिनांक 4 अक्तूबर 2013 की अधिसूचना के अनुसार उपर्युक्त कथित कर निजी स्कूलों की केवल नॉन-ए.सी. बसों के मामले में छूट दी गई है। पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राहय है।

डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम) तथा गुड़गांव के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च तथा अप्रैल 2015) कि स्कूलों/संस्थानों के विद्यार्थियों को ले जाने के लिए उपयोग की गई 135 स्कूल/संस्थान बसों के मालिकों ने अप्रैल 2011 तथा मार्च 2014 के मध्य विभिन्न अवधियों हेतु ₹ 25.97 लाख का यात्री कर या तो जमा नहीं करवाया था या विभाग ने डी.सी.आरज अद्यतन नहीं किए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.41 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 25.97 लाख के यात्री कर की कम वसूली हुई।

सभी डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (मार्च एवं अगस्त 2015) कि 33 मामलों में ₹ 7.07 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 11.34 लाख का यात्री कर वसूल किया गया था तथा ₹ 28.97 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

5.2.4 सिटी बस आपरेटरों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.पी.जी.टी.) (हरियाणा संशोधन) नियम, 2004 की धारा 9(2ई), जैसा कि 24 फरवरी 2004 से प्रभावी है, में प्रावधान है कि फरीदाबाद एवं

4 भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव, जगाधरी, रेवाड़ी तथा रोहतक।

5 भिवानी, जगाधरी, रेवाड़ी तथा रोहतक।

6 ''शैक्षिक संस्थान बस'' से तात्पर्य एक ओमनी बस है जो एक कालेज, स्कूल अथवा अन्य शैक्षिक संस्थान द्वारा स्वामित्व प्राप्त है तथा इसकी किसी प्रकार की गतिविधियों के संबंध में केवल शैक्षिक संस्थान के विद्यार्थियों अथवा स्टॉफ को लाने-ले जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है।

गुड़गांव जिलों में नगर निगम सीमा के भीतर सड़कों पर बसें चलाने के लिए परमिट धारकों द्वारा साधारण हाफ-बॉडी तथा फुल-बॉडी बसों के संबंध में क्रमश: ₹ 4,200 तथा ₹ 7,000 की दर पर मासिक यात्री कर भुगतान किया जाना अपेक्षित है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राहय है।

डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा गुड़गांव के कार्यालयों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च तथा अप्रैल 2015) कि 142 बसों में से 10 स्टेज कैरिज निजी बस आपरेटरों के मालिकों ने अप्रैल 2011 तथा मार्च 2014 के मध्य विभिन्न अवधियों हेतु ₹ 4.54 लाख का यात्री कर या तो जमा नहीं करवाया था या विभाग ने डी.सी.आरज अद्यतन नहीं किए थे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.11 लाख के यात्री कर की कम वसूली हुई।

डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा गुड़गांव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा मार्च 2015 में बताया कि संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर अगली प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा डी.सी.आरज की आवधिक समीक्षा करना तथा यदि यह पता लगे कि मालिकों का कम कर-निर्धारण किया गया था अथवा किसी वर्ष कर-निर्धारण से बच गए थे अथवा देय राशि से कम कर उद्गृहीत किया गया था तो तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय मालिकों को नोटिस भेजना अपेक्षित है। आंतरिक नियंत्रण, मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी उपर्युक्त मामलों में नोटिस भेजने में विफल रहे परिणामत: डी.सी.आरज या तो अद्यतन नहीं हुए या 15,850 मामलों में ₹ 14.59 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 24.10 करोड़ की सीमा तक यात्रियों एवं माल कर की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सात डी.ई.टी.सीज ने अगस्त 2015 तक 403 मामलों में ₹ 20.10 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 37.94 लाख का यात्री एवं माल कर वसूल किया था।

उपर्युक्त बिंदु जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवंबर 2015)।

परिवहन विभाग

5.3 मोटर वाहन कर में आऊटसोर्सड गतिविधियों से राजस्व का संग्रहण

एच.एस.आर.पीज स्नैप लॉक, जो बेहतर सुरक्षा के लिए अनिवार्य था, के बिना लगाई गई थी; नए पंजीकृत वाहनों पर एच.एस.आर.पीज लगाना 27 तथा 81 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा तथा पुराने वाहनों पर एच.एस.आर.पीज का प्रतिस्थापन आरंभ नहीं किया गया। मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण विभाग चूककर्ता पी.सी.सी. मालिकों/ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूलों से लंबित लाईसैंस फीस वसूल करने के लिए नोटिस जारी करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 7 लाख की लाईसैंस फीस की वसूली नहीं हुई।

मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें (एच.एस.आर.पीज) लगाने, वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रणाधीन सर्टीफिकेट (पी.यू.सी.सी.) जारी करने के लिए प्रदूषण चैक केन्द्रों को लाइसैंसों का जारी/नवीकरण तथा लोगों को ड्राईविंग ट्रेनिंग देने के लिए ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूलों को लाइसैंस जारी करने तथा नवीकरण करने का प्रावधान है। तथापि, राज्य सरकार ने ये गतिविधियां प्राइवेट पार्टियों को आऊटसोर्स की थी।

2011-12 से 2014-15 वर्षों के लिए राज्य के 21 जिलों में से 7 जिलों[7] में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.एज) तथा पंजीकरण प्राधिकारी (मोटर वाहन) {आर.एज. (एम.वीज)} के कार्यालयों के अभिलेखों की दिसंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य यह निर्धारण करने के लिए नमूना-जांच की गई थी कि क्या आऊटसोर्सड गतिविधियों से राजस्व के संग्रहण की प्रणाली विभाग में प्रभावी थी। देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

5.3.1 उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें (एच.एस.आर.पीज) लगाने के लक्ष्य की अप्राप्ति

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, (सी.एम.वी.आर.) के नियम 50 के साथ पठित 22 अगस्त 2001 के 'नए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें आर्डर' के केन्द्रीय सरकार अधिनियम के अनुसार सभी नए पंजीकृत वाहनों पर नियमों में यथा निर्धारित विर्निदेशनों तथा मानकों के अनुसार एच.एस.आर.पीज लगवाना अनिवार्य होगा। पहले से ही पंजीकृत वाहनों के मामले में, ऐसी पंजीकरण प्लेटें आदेश के प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों के अंदर लगाई जानी थी। हरियाणा सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अक्तूबर 2011 के निदेश के बाद एच.एस.आर.पी. स्कीम कार्यान्वित की। परिवहन विभाग, हरियाणा ने मैसर्स लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 27 अप्रैल 2012 को अनुबंध किया था तथा कार्य 25 मई 2012 से शुरू कर दिया गया था।

अनुबंध के क्लॉज 10.5.2.1 के अनुसार, वाहन मालिक से मूल्य की रसीद तथा पंजीकरण प्राधिकारी से अनुमोदन की प्राप्ति की तिथि से चार दिनों के अंदर संबंधित अफिक्शेशन स्टेशन पर फिक्शेसन के लिए एच.एस.आर.पी. तैयार हो जानी चाहिए। राज्य में आर.टी.एज तथा आर.ए. (एम.वीज) कार्य के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे तथा इसे मानीटर करने के लिए निर्देश दिए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए थे कि कोई भी पंजीकरण प्रमाण-पत्र एच.एस.आर.पी. लगाए बिना जारी नहीं किया गया था।

[7] अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, सिरसा तथा यमुनानगर।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2014 से मई 2015) कि जून 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य 8,54,257 मोटर वाहन पंजीकृत किए गए थे। एच.एस.आर.पीज केवल 4,06,108 वाहन पर लगाई गई थी। शेष 4,48,149 वाहन (52 प्रतिशत) पर 31 मार्च 2015 तक एच.एस.आर.पीज नहीं लगाई गई थी। नए पंजीकृत मोटर वाहन पर एच.एस.आर.पीज लगाने के लिए 24 रजिस्टरिंग प्राधिकरणों में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 27 तथा 81 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। कमी के लिए कारण पूछे गए थे किंतु कोई उत्तर प्रदान नहीं किया गया था।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि एच.एस.आर.पीज के बदलने के लिए जून 2012 से पहले पुराने पंजीकृत वाहनों से संबंधित डाटा जुलाई 2015 तक हस्तांतरित नहीं किया गया था चूंकि, परियोजना के शुरू होने से दो वर्षों से भी ज्यादा बीत गए थे।

सभी पंजीकरण प्राधिकारियों ने उत्तर दिया (मार्च से मई 2015) कि नए वाहनों के पंजीकरण का डाटा सीधे एच.एस.आर.पी. ठेकेदार को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा एच.एस.आर.पीज लगवाने की जिम्मेदारी वाहन मालिकों की थी। पंजीकरण प्राधिकारियों के उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि सभी आर.टी.एज/आर.एज को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि एच.एस.आर.पी. लगवाए बिना कोई भी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी न किया जाए। पुराने पंजीकृत वाहनों के मामलों में, परिवहन विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि एन.आई.सी. ने वेब सर्विस द्वारा फर्म को पुराने वाहनों का डाटा भेज दिया है। तथापि, इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इस प्रकार, आर.टी.एज/आर.एज की ओर से मानीटरिंग की कमी थी जो उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय[8] का उल्लंघन थी जिसमें निर्धारित किया गया था कि 'एच.एस.आर.पी.' को लगाना सांविधिक आदेश है जो न केवल राज्य की सुरक्षा के हित में है बल्कि काफी हद तक जनता के हित का भी ध्यान रखता है। इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सांविधिक प्रावधानों/आदेशों की अनुपालना करना प्रत्येक राज्य सरकार और संघ क्षेत्र के लिए केवल वांछनीय ही नहीं बल्कि अनिवार्य है।

5.3.2 स्नैप लॉक्स का न लगाना

एच.एस.आर.पीज आदेश की शर्त संख्या 4 (viii) के अनुसार बेहतर सुरक्षा के लिए वाहनों के पिछले हिस्से में कम से कम दो नान-रिमूवऐबल/नान-रियूजऐवल स्नैप लॉक सिस्टम के साथ एच.एस.आर.पीज लगाई जाएगी। राज्य सरकार किसी अनुमोदित परीक्षण एजेंसी को नियुक्त कर सकती है, जो एम्बोसिंग/अफिक्सिंग स्टेशनज तथा सड़कों पर, उनकी गुणवत्ता तथा निष्पादन जांचने के लिए, नियमित तथा रैंडम आधार पर एच.एस.आर.पीज की आवधिक जांच/मूल्यांकन/परीक्षण तथा प्रमाणीकरण करेगी।

सात जिलों के आर.टी.एज/आर.एज कार्यालयों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2014 से मार्च 2015) कि केवल ब्लाइंड रिवेटस के साथ 4,06,108 मोटर वाहनों में एच.एस.आर.पीज लगाई गई थी। ये एच.एस.आर.पीज बिना स्नैप लॉक के थी जो बेहतर सुरक्षा के लिए अनिवार्य था। स्नैप लॉक्स की अनुपस्थिति ने वाहनों को चोरी तथा नंबर प्लेटों का अनाधिकृत रूप से बदलने से सुरक्षित करने की सारी प्रक्रिया के वास्तविक उद्देश्य को नकार दिया।

[8] मनिन्दर सिंह बिट्टा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और ओ.आर.एस. (रिट पेटीशन © 2005 की संख्या 510 दिनांक 7 फरवरी 2012.

परिवहन विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि विभिन्न एजेंसियों को एच.एस.आर.पीज तथा स्नैप लॉक की जांच/मूल्यांकन/गुणवत्ता के परीक्षण के लिए शुल्क सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था। यह दर्शाता है कि अनुबंध के अनुसार प्लेटस की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में विभाग विफल रहा था।

5.3.3 रायल्टी की अप्राप्ति/कम प्राप्ति/कम जमा

अनुबंध की क्लॉज 14.1 तथा 14.3 के अनुसार रियायत की संस्वीकृति के बदले में रियायत ग्राही, वाहन मालिकों से एच.एस.आर.पीज की बिक्री (लोकल विक्री कर, वैट आदि निकालकर) द्वारा एकत्रित की गई राशि पर पांच प्रतिशत रायल्टी के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करेगा। प्राधिकारी अपने आप को संतुष्ट करें कि ठेकेदार एच.एस.आर.पीज के लगाने पर राशि का वास्तविक संग्रहण सूचित कर रहा है।

(i) परिवहन विभाग, हरियाणा में डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि रियायतग्राही ने एच.एस.आर.पीज के लगाने के कारण 31 मार्च 2015 तक ₹ 19.62 करोड़ की राशि संगृहीत की। इस प्रकार, ₹ 98.05 लाख की रायल्टी सरकारी खाते में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। तथापि, रियायतग्राही ने ₹ 80.65 लाख जमा किए परिणामत: ₹ 17.40 लाख की रायल्टी कम जमा हुई।

(ii) सात जिलों के अभिलेखों से भी लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2014 से मई 2015) कि जून 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य पंजीकृत किए गए 8,54,257 मोटर वाहनों में से 4,06,108 नए वाहनों पर एच.एस.आर.पीज लगाई गई थी। चूंकि, विभाग शेष 4,48,149 वाहनों पर एच.एस.आर.पीज लगवाने में विफल रहा, सरकार ₹ 29.87 लाख की रायल्टी से वंचित रही जो ऐसे वाहनों पर एच.एस.आर.पीज लगाने पर संघटित की जा सकती थी।

सभी पंजीकरण प्राधिकारियों ने बताया कि एच.एस.आर.पीज को लगवाना वाहन मालिकों की जिम्मेदारी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह सुनिश्चित करना आर.टी.एज तथा आर.एल.ए. (एम.वी.) की जिम्मेदारी थी कि कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र एच.एस.आर.पीज लगाए बिना जारी न किया जाए। इस प्रकार, आर.टी.ए./आर.एज की ओर से मॉनीटरिंग की कमी थी।

5.3.4 प्रदूषण चैक केन्द्रों के लाइसैंसों का नवीकरण न करना

हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 162-ए में प्रावधान है कि प्रत्येक मोटर वाहन को परिवहन विभाग द्वारा, या परिवहन विभाग द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी प्रदूषण जांच केन्द्र (पी.सी.सी.) द्वारा 6 मास की अवधि के लिए जारी एक वैध ''प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र (पी.यू.सी.सी.)'' रखना होगा। पी.सी.सी. लाइसैंस के जारी तथा नवीकरण की फीस ₹ 2,500 प्रति वर्ष होगी।

पी.सी.सी. मालिक को दसवीं पास, मोटर मैकेनिक में आई.टी.आई. डिप्लोमा के साथ एक तकनीकीशयन होना चाहिए तथा उसके पास छोटी मरम्मत के लिए एक वर्कशाप होनी चाहिए। उसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्मोक मीटर तथा एक एग्जास्ट गैस ऐनालाइजर की खरीद का सबूत प्रस्तुत करना चाहिए। प्रवर्तन अधिकारी उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी पी.सी.सी. की कार्य प्रणाली की जांच कर सकता है। यदि कोई पी.सी.सी. मालिक उपर्युक्त नियमों

एवं शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह पी.सी.सी. की गतिविधि को रोकने तथा पी.सी.सी. को निलंबित/रद्द करने का आदेश दे सकता है।

पांच[9] आर.टी.एज के कार्यालयों में अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2014 से मई 2015) कि 629 लाइसैंसों में से पी.सी.सीज के 110 लाइसैंसों का जनवरी 2011 तथा दिसंबर 2014 के मध्य की अवधि के लिए मालिकों द्वारा नवीकरण नहीं करवाए जा रहे थे। विभाग ने न तो 2011-12 से 2013-14 की अवधियों के लिए ₹ 6.10 लाख की लंबित लाइसैंस फीस वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए थे और न ही लाइसैंस निलंबित/रद्द किए गए।

चार आर.टी.एज ने मई 2015 में बताया कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे।

5.3.5 ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लाइसैंसों का नवीकरण न कराना

सी.एम.वी. नियमों के नियम 24 (4) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो एक ड्राईविंग स्कूल का रखरखाव या स्थापना करना चाहता है, लाइसैंसिंग प्राधिकारी पाचं वर्षो की अवधि के लिए ₹ 2,500 के भुगतान पर लाइसैंस दे सकता है अथवा नवीकरण कर सकता है। परिसर जहां पर स्कूल या स्थापना की जानी प्रस्तावित है, उस पर या तो आवेदनकर्त्ता का स्वामित्व हो या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई हो या उसके नाम पर किराए पर ली गई हो। स्टाफ की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है तथा ड्राईविंग प्रशिक्षक भी कम से कम पांच वर्ष का ड्राईविंग अनुभव तथा मोटर मैकेनिक में प्रमाणीकरण रखता है। वाहन केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध होते हैं तथा वाहन को नियंत्रित करने तथा रोकने के लिए प्रशिक्षक को समर्थ बनाने हेतु वाहन दोहरी नियंत्रण सुविधा से युक्त होता है। उसे स्कूल के परिसर, इसके द्वारा अनुरक्षित अभिलेख तथा रजिस्टरों को लाइसैंसिंग प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए हर उपयुक्त समय पर खुला रखना चाहिए।

चार[10] आर.टी.एज. के कार्यालयों में अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2014 से मई 2015) कि 67 ड्राईविंग प्रशिक्षण स्कूलों में से 35 ने, वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अपने लाईसैंसों का नवीकरण नहीं करवाया था। तथापि, विभाग ने न तो चूककर्त्ता ड्राईविंग स्कूल मालिकों से ₹ 1.01 लाख की लंबित लाइसैंस फीस वसूलने के लिए नोटिस जारी किया था और न ही लाइसैंस निलंबित/रद्द किया था।

आर.टी.ए. रोहतक तथा गुड़गांव ने बताया (मई 2015) कि वसूली के लिए चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे।

इस प्रकार, लगाई गई एच.एस.आर.पीज बिना स्नैप लाक के थी जो बेहतर सुरक्षा के लिए अनिवार्य था, नए पंजीकृत वाहनों पर एच.एस.आर.पीज का लगाना 27 तथा 81 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित था तथा पुराने वाहनों पर एच.एस.आी.पीज की रिप्लेसमेंट शुरू नहीं की गई थी। रायल्टी के वास्तविक संग्रहण/रायल्टी के कम जमा को सुनिश्चित करने के लिए कोई मॉनीटरिंग नहीं थी। मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण, विभाग चूककर्त्ता

9 अंबाला, बहादुरगढ़, गुड़गांव, रोहतक तथा यमुनानगर।

10 अंबाला, गुड़गांव, रोहतक तथा यमुनानगर।

पी.सी.सी. मालिकों/ड्राईविंग प्रशिक्षण स्कूलों से लंबित लाइसैंस फीस वसूलने के लिए नोटिस जारी करने में विफल रहा था परिणामत: ₹ 7 लाख की लाइसैंस फीस की वसूली नहीं हुई।

मामला जुलाई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित कर दिया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

5.4 सरकारी प्राप्तियों का संदिग्ध दुरूपयोग

नियंत्रण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.46 लाख के सरकारी धन का संदिग्ध दुरूपयोग हुआ।

पंजाब वित्तीय नियम (पी.एफ.आर.) के नियम 2.2 तथा 2.7 जैसे हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए अनुसार एक आहरण तथा संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) स्वयं को संतुष्ट करे कि सभी वित्तीय लेन-देन जैसे ही वे होते हैं, कैश बुक में दर्ज किए जाते हैं तथा उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। नियम 2.7 तत्रैव प्रावधान करता है कि अधिकारी, जो कैश बुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, के द्वारा राशि को ट्रेजरी/बैंक में उसी दिन या अगले दिन सुबह जमा करना अपेक्षित है। नियम 2.2 (iii) के अंतर्गत कार्यालय के प्रमुख द्वारा कैश बुक में सभी प्रविष्टियों के योगों सहित सभी प्रविष्टियां को जांचना भी अपेक्षित है या कैश बुक को लिखने वाले से अन्य किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा यह करवाया जाए तथा हस्ताक्षर करें कि सभी प्रविष्टयां सही हैं। नियम 2.2 (v) के अनुसार, सभी प्रेषणों की एक समेकित रसीद आगामी महीने की 15 तारीख तक ट्रेजरी से प्राप्त की जानी चाहिए तथा कैश बुक में प्रविष्टियों से तुलना की जानी चाहिए।

पंजीकरण तथा लाईसैंसिंग प्राधिकारी (मोटर वाहन) {आर.एल.ए. (एम.वीज)}, भिवानी के वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दैनिक संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.)/समेकित ट्रेजरी रसीद रजिस्टर (सी.टी.आर.), रसीद बुक्स तथा आर.सी. रजिस्टर से लेखापरीक्षा ने देखा (नवंबर 2014) कि मई, जून तथा सितंबर 2012 की अवधियों के लिए ड्राईविंग लाइसैंसों के जारी/नवीकरण के कारण ₹ 12.68 लाख की राशि संगृहीत की गई थी। ₹ 12.68 लाख में से, ₹ 4.46 लाख की राशि संग्रहण के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी ट्रेजरी/सरकारी खाते में जमा नहीं की गई थी। नियंत्रण अधिकारी ने न तो मई से सितंबर 2012 की अवधि के लिए डी.सी.आर. की जांच/हस्ताक्षर किए थे और न ही अप्रैल 2012 से मई 2013 तक की अवधि के लिए ट्रेजरी अभिलेख के साथ डी.सी.आर. में प्रविष्टियों का क्रास सत्यापन किया गया था।। इस प्रकार, नियंत्रण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.46 लाख के सरकारी धन का संदिग्ध दुरूपयोग हुआ।

आर.एल.ए. (एम.वी.) भिवानी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अगस्त तथा अक्तूबर 2015) कि ₹ 3.86 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा जुलाई तथा अक्तूबर 2015 में सरकारी कोषालय में जमा कर दी गई थी। तथापि, ₹ 60,000 की शेष राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी किया गया था (नवंबर 2015)।

मामला जुलाई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित कर दिया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

अध्याय – 6

अन्य कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियां

अध्याय 6: अन्य कर तथा कर–भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू–विज्ञान, तथा भू–राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। कर प्रबंध प्रत्येक विभाग के लिए अलग से निर्मित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 के दौरान खदान एवं भू–विज्ञान, विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क), भू–राजस्व तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) से संबंधित 52 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने 4,493 मामलों में ₹ 1.26 करोड़ से आवेष्टित रायल्टी की अवसूली/कम वसूली, ब्याज के अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई, **तालिका 6.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• रायल्टी तथा ब्याज	144	0.47
	• बिजली स्थापना फीस	4,273	0.10
2	नकल एवं स्यूटेशन फीस जमा न करवाना	75	0.05
3	विविध अनियमितताएं (मनोरंजन शुल्क)	1	0.64
योग		**4,493**	**1.26**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 4,280 मामलों में ₹ 0.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 4,253 मामलों में आवेष्टित ₹ 0.21 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 40 मामलों में ₹ 0.10 करोड़ वसूल किए, जिनमें से 13 मामलों में आवेष्टित ₹ 0.01 करोड़ वर्ष 2014–15 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 24.92 लाख से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामले पर निम्नलिखित अनुच्छेद में चर्चा की गई है:

खदान एवं भू–विज्ञान विभाग

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

6.2 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

पांच जिलों के संबंध में 81 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 24.92 लाख की राशि की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2011 तथा अप्रैल 2014 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 का नियम 30 प्रावधान करता है कि ईंट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने 20 जून 2012 से बी.के.ओज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की तथा बी.के.ओज प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक निर्धारित दर पर अग्रिम में रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमश: 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओज/ए.एम.ईज के पांच कार्यालयों[1] के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2013 से अक्तूबर 2014) कि 1,061 बी.के.ओज में से, 81 बी.के.ओज, जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल 2011 तथा अप्रैल 2014 के मध्य परमिट जारी किए गए थे, ने रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2014 तक 21 से 48 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 15.48 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। परमिटों को रद्द करने तथा/या भू–राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 9.44 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 15.48 लाख की रायल्टी की वसूली नहीं हुई।

[1] ए.एम.ईज/एम.ओज: अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, जींद तथा नारनौल।

सभी ए.एम.ईज/एम.ओज ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2014 से अप्रैल 2015) कि ₹ 1.74 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 23.18 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए संबंधित बी.के.ओज को नोटिस जारी किए गए थे। आगे, वसूली पर प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

चण्डीगढ़ (महुआ पाल)
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (शशि कान्त शर्मा)
दिनांक: **भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

अनुलग्नक-I

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/31 अक्तूबर 2015 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	12	9	4	9	34
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	4	9	13
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	3	1	1	2	7
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	2	1	1	2	6
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	6	6	8	7	27
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	6	8	7	21
राज्य उत्पाद शुल्क/पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	3	4	5	13
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	4	5	9
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	1	1	1	4
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	1	1	1	4
योग	**ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित**	**23**	**20**	**18**	**24**	**85**
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों के कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	**3**	**8**	**18**	**24**	**53**

अनुलग्नक-II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

31 अक्तूबर 2015 को नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31.10.2015 को लोक लेखा समिति की 1979 – 80 से 2009 – 10 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1.	22वीं	1979-80	3
2.	23वीं	1980-81	4
3.	25वीं	1981-82	4
4.	26वीं	1982-83	3
5.	28वीं	1983-84	2
6.	29वीं	1984-85	7
7.	32वीं	1985-86	4
8.	34वीं	1986-87	11
9.	36वीं	1987-88	6
10.	38वीं	1988-89	10
11.	40वीं	1989-90	21
12.	42वीं	1990-91, 91-92, 92-93	26
13.	44वीं	1990-91, 91-92, 92-93	39
14.	46वीं	1993-94	9
15.	48वीं	1993-94, 1994-95	10
16.	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	40
17.	52वीं	1996-97	30
18.	54वीं	1997-98	43
19.	58वीं	1998-99 तथा 1999-2000	64
20.	60वीं	2000-01	38
21.	62वीं	2001-02	42
22.	63वीं	2002-03	46
23.	64वीं	2003-04	52
24.	65वीं	2004-05	50
25.	67वीं	2005-06	48
26.	68वीं	2006-07 तथा 2007-08	100
27.	70वीं	2008-09	56
28.	71वीं	2009-10	52
योग			**820**

अनुलग्नक-III

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

31 अक्तूबर 2015 को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	1979–80 से 2009–10 तक की अवधि की बकाया कुल सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	379
2	राजस्व	172
3	खदान एवं भू-विज्ञान	46
4	कृषि	41
5	सिंचाई	16
6	चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पैक्टर (विद्युत)	17
7	जन-स्वास्थ्य	6
8	लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	5
9	पशुपालन	7
10	परिवहन	56
11	वित्त (लॉटरीज)	15
12	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13	सहकारिता	20
14	वन	11
15	गृह	16
16	शहरी विकास	2
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18	उद्योग	1
19	सामान्य	1
20	नगर एवं ग्राम आयोजना	3
योग		**820**

शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.ए.	कर-निर्धारण प्राधिकारी
ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
ए.ई.टी.सी.	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
ए.एम.ई.	सहायक खनन अभियंता
कृ.का.व्या.टि.	कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणी
भा.ब्या.प्र.बो.	भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.के.ओ	ईंट भट्ठा मालिक
दे.श.	देशी शराब
सी.एम.वी.आर.	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
सी.टी.आर.	समेकित खजाना प्राप्ति रजिस्टर
डी.सी.आर.	दैनिक संग्रहण रजिस्टर
डी.सी.	उपायुक्त
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.ई.पी.बी.	शुल्क एवं हकदारी पासबुक
डी.ई.टी.सी.	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.एम.आर.सी.	दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
भा.स.	भारत सरकार
जी.टी.ओ.	सकल आवर्त्त
हैरिस	हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली
एच.डी.पी.ई.	हाई डैनसिटी पोलीथिलीन
एच.एल.एल. नियम	हरियाणा शराब लाईसैंस नियम, 1970
एच.एस.आर.पी.	हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
भा.नि.वि.श.	भारत में निर्मित विदेशी शराब

आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एक्ट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त उप रजिस्ट्रार
एम.ओ.	खनन अधिकारी
एम.एस.पाईप	माईल्ड स्टील पाईप
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.सी.सी.	प्रदूषण जांच केंद्र
पी.एफ.आर.	पंजाब वित्तीय नियम
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
पी.पी.जी.टी. एक्ट	पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952
पी.यू.सी.सी.	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र
आर.ए. (एम.वी.)	पंजीकरण प्राधिकारी (मोटर वाहन)
आर.ए.	पुनरीक्षण प्राधिकारी
आर.सी.	पंजीकरण प्रमाण-पत्र
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.आर.	उप-रजिस्ट्रार
एस.एस.पाईप	स्टेनलेस स्टील पाईप
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.सी.टी.	निर्माण संविदा कर